

[2023] 12 एस. सी. आर 979:2023 आई. एन. एस. सी. 736

मुकदमों का विवरण

सेकुंड क्लब ई. टी. सी. बनाम.

C.I.T.-V ETC।

(सिविल अपील सं. 2012 की 5195-5201) अगस्त 17,2023

[बी. वी. नागरत्ना और

प्रशांत कुमार मिश्रा, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए मुद्दे: क्या विभिन्न बैंकों में बैंक जमा के माध्यम से निर्धारिती क्लबों द्वारा अधिशेष निधि की जमा राशि पर क्लबों के हाथों में कर लगाया जा सकता है या, क्या पारस्परिकता का सिद्धांत लागू होगा और जमा से अर्जित ब्याज आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत कर के अधीन नहीं होगा; और क्या बेंगलोर क्लब के मामले में इस अदालत के फैसले में * * कानपुर क्लब के मामले में इस अदालत के आदेश के आलोक में पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी।

आय कर अधिनियम, 1961 -धारा 2 (24)-विभिन्न बैंकों में बैंक जमाओं के माध्यम से क्लबों द्वारा अधिशेष निधियों का जमा-अधिशेष जमाओं पर अर्जित ब्याज, यदि क्लबों के हाथों में कर लगाने के लिए उत्तरदायी है:

आयोजित किया गया: निर्धारिती क्लबों द्वारा बैंकों में की गई जमा राशि पर अर्जित ब्याज आय को एस के अर्थ के भीतर अन्य स्रोतों से होने वाली किसी भी अन्य आय की तरह माना जाना चाहिए। 2(24) और पारस्परिकता का सिद्धांत लागू नहीं होगा-इसके विपरीत, यदि क्लबों द्वारा अपनी परिसंपत्तियों और संसाधनों के माध्यम से, उन व्यक्तियों से कोई आय अर्जित की जाती है जो क्लब के सदस्य नहीं हैं, तो ऐसी आय भी पारस्परिकता के सिद्धांत के तहत शामिल नहीं होगी और आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत कर लगाने के लिए उत्तरदायी होगी। [पैरा 43 (ii), (v), (vi)]

आयकर अधिनियम, 1961-* बेंगलोर क्लब बनाम आयकर आयुक्त का मामला जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि निर्धारिती क्लब द्वारा बैंकों से अर्जित ब्याज की राशि पारस्परिकता सिद्धांत के दायरे में नहीं आएगी और आयकर 980 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 12 एस. सी. आर.

979

निर्धारिती के हाथों में-कानपुर क्लब के मामले में इस न्यायालय के पूर्व आदेश को देखते हुए पुनर्विचार:

आयोजित किया गया:बैंगलोर क्लब के मामले में इस अदालत की समन्वय पीठ द्वारा दिया गया तर्क न्यायसंगत और उचित है-यह कानपुर क्लब के मामले में इस अदालत के पिछले आदेश के आलोक में देखे जाने पर भी पुनर्विचार की मांग नहीं करेगा-बैंगलोर क्लब में निर्णय आकस्मिक नहीं है, हालांकि कानपुर क्लब के मामले में इस अदालत की समन्वय पीठ द्वारा पारित पहले के आदेश पर बैंगलोर क्लब में ध्यान नहीं दिया गया था-पारस्परिकता का सिद्धांत बैंकों में अपीलकर्ता क्लबों द्वारा की गई जमा राशि पर अर्जित ब्याज आय पर लागू नहीं होगा, भले ही बैंक क्लब के कॉर्पोरेट सदस्य हों या नहीं-बैंगलोर क्लब के मामले में कहा गया निर्णय कहता है[पैरा 5,26-28,39,41 और 43 (ii), (iii), (vii)]

भारत का संविधान-अनुच्छेद **141**-विधि की घोषणा-आयकर आयुक्त बनाम आयकर आयुक्त का बाध्यकारी अधिनियम। मेसर्स कानपुर क्लब लिमिटेड का मामला, यदि एक बाध्यकारी मिसाल है:

आयोजित किया गया:* * कानपुर क्लब के मामले में इस न्यायालय के आदेश को अनुच्छेद 141 के अर्थ के भीतर एक उदाहरण के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि उक्त आदेश किसी भी कानून की घोषणा नहीं करता है-* * कानपुर क्लब के खिलाफ राजस्व के नेतृत्व में दायर अपीलों का निपटारा इस बड़े सवाल में गए बिना किया गया कि क्या * * कानपुर क्लब पर बैंकों में जमा राशि पर अर्जित ब्याज आय पर कर लगाया जा सकता है, या क्या पारस्परिकता का सिद्धांत उक्त आय पर लागू होगा-उक्त आदेश से निकलने वाला कोई अनुपात निर्णय नहीं है जो बाद के मामलों के लिए एक बाध्यकारी उदाहरण होगा-* * कानपुर क्लब के मामले पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए था और समन्वय द्वारा विचार किया जाना चाहिए था।[पैरा 11,26,27 और 43 (i)]

भारत का संविधान-अनुच्छेद **141**-कानून की घोषणा-केनरा बैंक के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय, यदि एक बाध्यकारी मिसाल है -

आयोजित किया गया:केनरा बैंक में कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ का निर्णय उक्त मामले के तथ्यों पर लागू होने तक ही सीमित होना चाहिए।

सेकुंड क्लब ई. टी. सी. बनाम.C.I.T.-V ETC।

यद्यपि उक्त निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी-यह बाद के मामलों के लिए एक मिसाल नहीं हो सकती है-बैंगलोर क्लब के मामले में उक्त उच्च न्यायालय की एक अन्य खंड पीठ के फैसले को खंड पीठ के संज्ञान में नहीं लाया गया था, जिसने * * * केनरा बैंक के मामले में फैसला सुनाया था-यह बैंगलोर क्लब में उक्त उच्च न्यायालय की खंड पीठ का फैसला है जिसे इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने एक विस्तृत तर्क द्वारा कायम रखा है।[पैरा 28 और 43 (iv)]

सिद्धांत/सिद्धांत-आयकर कानूनों के संदर्भ में पारस्परिकता का सिद्धांत:

आयोजित किया गया:पारस्परिकता का सिद्धांत सामान्य ज्ञान में निहित है-एक व्यक्ति स्वयं से लाभ नहीं कमा सकता है-इसका तात्पर्य है कि एक व्यक्ति उस संघ से लाभ अर्जित नहीं कर सकता है जिसके साथ वह एक सामान्य पहचान साझा करता है-सिद्धांत का सार योगदानकर्ताओं और प्रतिभागियों की समानता में निहित है जो लाभार्थी भी हैं-योगदानकर्ताओं और प्रतिभागियों के बीच एक पूर्ण पहचान होनी चाहिए-इस प्रकार, यह इस प्रकार है कि सामान्य निधि में कोई भी अधिशेष आय का गठन नहीं करेगा, बल्कि अचानक होने वाली घटनाओं को पूरा करने के लिए सामान्य निधि में केवल वृद्धि होगी।[पैरा 8.1]

सिद्धांत/सिद्धांत-पारस्परिकता का सिद्धांत-विकास

भारत-चर्चा की गई।[पैरा 8.5 से 8.9.11]

सिद्धांत/सिद्धांत-पारस्परिकता का सिद्धांत-बैंगलोर क्लब के मामले में इस न्यायालय के कथन-पारस्परिकता के सिद्धांत को लागू करने के लिए ट्रिपल टेस्ट-की पृष्ठभूमि में, अपीलकर्ता क्लबों द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों में की गई जमा राशि पर अर्जित ब्याज आय के संबंध में लागू होना। [पारस 31-37]

अनुपात निर्णय-इसका महत्व और व्याख्या:

आयोजित किया गया:निर्णय का अनुपात निर्णय के समर्थन में दिया गया कारण है-यह केवल एक निर्णय को पूरी तरह से पढ़ने पर ही समझा जा सकता है और उसके बाद इसे निकाला जाना चाहिए-मामले के अनुपात का पता मामले के तथ्यों और अदालत द्वारा व्याख्या या लागू किए गए कानून के विशेष प्रावधान से लगाया जाना चाहिए और निर्णय को मामले में शामिल विशेष वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए-अनुपात या निर्णय में अंतर्निहित कारणों और सिद्धांतों का आधार अलग है।

982

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

किसी मामले में दी गई अंतिम राहत या निपटारे का तरीका-इस प्रकार, किसी निर्णय का अनुपात निर्णय एक पूर्ववर्ती के रूप में बाध्यकारी है न कि निर्णय में अंतिम आदेश के रूप में।[पैरा 13,17 और 18]

भारत का संविधान-अनुच्छेद 141-बाध्यकारी पूर्ववर्ती-सिद्धांत और उद्देश्य:

आयोजित किया गया:अनुच्छेद 141 के संदर्भ में, निर्णय का अनुपात बाध्यकारी पूर्ववर्ती है-किसी निर्णय का अनुपात निर्णय निष्कर्ष के समर्थन में सौंपा गया कारण है-निर्णय में अंतर्निहित कानूनी सिद्धांत बाद के मामले के लिए एक पूर्ववर्ती के रूप में बाध्यकारी होगा-इस प्रकार, बाद के मामले में निर्णय को लागू करते समय, उसके साथ काम करने वाले न्यायालय को पिछले

निर्णय में निर्धारित सिद्धांत का सावधानीपूर्वक पता लगाना होगा-किसी मामले में निर्णय मामले के तथ्यों और शामिल कानून के प्रश्न से अपना प्रभाव लेता है और निर्णय लेता है-हालांकि, एक निर्णय जो व्यक्त नहीं है और न ही किसी कारण पर आधारित है और न ही मुद्दे पर विचार करने पर आगे बढ़ता है, उसे कानून घोषित नहीं माना जा सकता है, ताकि एक बाध्यकारी प्रभाव हो जैसा कि अनुच्छेद 141 के तहत विचार किया गया है।[पैरा 16,18,19 और 22]

न्यायिक अनुशासन-इसका पहलू:

आयोजित किया गया:अनुच्छेद 141 में कहा गया है कि भारत के सभी न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य हैं-यह सिद्धांत न्यायिक अनुशासन का एक पहलू है-भारत का संविधान-अनुच्छेद 141।[पैरा 16]

ओबिटर डिक्टम-अर्थ और उद्देश्य:

आयोजित किया गया:ओबिटर डिक्टम एक कानूनी प्रश्न पर अदालत द्वारा एक अवलोकन है जो अदालत द्वारा घोषित निर्णय के लिए आवश्यक नहीं हो सकता है-हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय का ओबिटर डिक्टम यू/अनुच्छेद 141 के तहत बाध्यकारी है, किसी मामले में अदालत द्वारा उठाए गए और तय किए गए बिंदुओं पर टिप्पणियों की सीमा तक-हालांकि सर्वोच्च न्यायालय का ओबिटर डिक्टम सभी अदालतों पर बाध्यकारी है, लेकिन जहाँ तक सर्वोच्च न्यायालय का संबंध है, उसके पास केवल प्रेरक अधिकार है।[पैरा 20] 983

सेकुंड क्लब ई. टी. सी. बनाम.C.I.T.-V ETC।

निर्णय/आदेश-व्याख्या:

आयोजित किया गया:किसी निर्णय में उपयोग किए गए शब्दों की व्याख्या किसी कानून के शब्दों के रूप में नहीं की जानी चाहिए-किसी निर्णय में उपयोग किए गए शब्दों को प्रासंगिक रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए और समझा जाना चाहिए और शाब्दिक रूप से लिया जाना नहीं चाहिए-निर्णय एक प्राधिकरण नहीं है जिसे निहितार्थ से पढ़ा जा सकता है या न्यायाधीशों के एक कल्पित इरादे को निर्दिष्ट करके और उससे कानून के एक प्रस्ताव का अनुमान लगाकर जिसे न्यायाधीशों ने स्पष्ट रूप से या स्पष्ट रूप से निर्णय में निर्धारित नहीं किया है-निर्णय एक प्राधिकरण है जो विशिष्ट रूप से तय किया जाता है और न कि तार्किक रूप से उससे क्या निकाला जा सकता है।[पैरा 21]

शहरों और
अन्य संदर्भों
की सूची

*बैंगलोर क्लब बनाम आयकर आयुक्त, (2013) 5 एससीसी

509:[2013] 1 एस. सी. आर. 267-एक अच्छा कानून था और उस पर निर्भर था।

****आयकर आयुक्त बनाम मैसर्स कानपुर क्लब लिमिटेड,**

कानपुर (2004) 140 कर अधिकारी 378 (एससी); आयकर आयुक्त, बिहार बनाम बांकीपुर क्लब लिमिटेड, (1997) 5 एससीसी 394:[1997] 1 पूरक।एससीआर

263; ***केनरा बैंक स्वर्ण जयंती कर्मचारी कल्याण कोष बनाम आयकर उपायुक्त, (2009) 308 आईटीआर 202; नटराज वित्त निगम, (1988) 169 आईटीआर 732; चेम्सफोर्ड क्लब (2000) 243 आईटीआर 89; आई. टी. आई. कर्मचारी मृत्यु और अधिवर्षिता राहत कोष, (1998) 234 आई. टी. आर. 308 (कर); आयकर आयुक्त बनाम कॉमन एफ्लू क्वेंट ट्रीटमेंट प्लांट, (ठाणे-बेलापुर) एसोसिएशन, (2010) 328 आई. टी. आर. 362; मद्रास जिमखाना क्लब बनाम आयकर उपायुक्त (2010) 328 आई. टी. आर. 328 (एम. ए. डी.); पश्चिम बंगाल राज्य बनाम कलकत्ता क्लब लिमिटेड, (2019) 19 एस. सी. सी. 107; कुन्हयमद बनाम केरल राज्य, (2000) 6 एस. सी. सी. 359:[2000] 1 पूरक।एस. सी. आर. 538; फतेह मैदान क्लब बनाम सहायक आयुक्त

आयकर आई. टी. ए. Nos.937,939,947 और 952/एच. डी./1995 और 716 से 720/एच. डी./2000, सहायक।वर्ष।1983-84 से 1997-98 दिनांक 13.08.2023; जुबली हिल्स

अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाम आयकर कार्यालय 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन टी. एस. 41; सी. आई. टी. बनाम वेंकटेश परिसर सहकारी समिति।सोसायटी लिमिटेड (2018) 15 एस. सी. सी. 37:[2018] 3 एस. सी. आर. 214; रॉयल कलकत्ता टर्फ क्लब बनाम राज्य सचिव, (1921) आई. एल. आर. 48 कैल

844 :आकाशवाणी (1921) कैल 633:(1921) 1 आई. टी. सी. 108; अंग्रेजी और स्कॉटिश संयुक्त

सहकारी थोक सोसायटी, लिमिटेड बनामकृषि आयुक्त

984 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 12 एस. सी. आर.

आय-कर, 1948 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. सी. 41; सी. आई. टी. बनाम रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ

क्लब लिमिटेड, ए. आई. आर 1954 एस. सी. 85:[1954] एससीआर 289; कुन्हयमद बनाम केरल राज्य, एआईआर (2000) एससी 2587:[2000] 1 पूरक।एससीआर 538; पटना गोल्फ क्लब बनाम सीआईटी, 2016 एससीसी ऑनलाइन पटना 2067 (विविध)।की अपील सं. 541

2007); स्पोर्ट्स क्लब ऑफ गुजरात लिमिटेड बनामसीआईटी, 171 आईटीआर 504; बी. शमा राव

बनाम केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी, एआईआर 1967 एससी 1480:[1967] एससीआर 650; दलबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1979) 3 एससीसी 745:[1979] 3 एससीआर 1059;

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (1991) 4 एस. सी. सी. 139: [1991] 3 एस. सी. आर. 64; संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा

आयोग, इलाहाबाद; (2007) 3 एससीसी 720:[2007] 1 एस. सी. आर. 235; डी. टी. सी. बनाम डी. टी. सी. मजदूर कांग्रेस यूनियन, ए. आई. आर. 1991 एस. सी. 101: [1990] 1 पूरक।एससीआर

142; यम!रेस्तरां (विपणन) प्राइवेट लिमिटेड बनामआयकर आयुक्त, दिल्ली, (2021) 7 एस. सी. सी. 678; केशव मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम.सी. आई. टी. (1965) 2

एस. सी. आर. 908-संदर्भित।

न्यूयॉर्क जीवन बीमा कंपनी बनामस्टाइल्स (करों का सर्वेक्षणकर्ता), (1886-90) सभी ई. आर. प्रतिनिधि विस्तार 1362; अंतिम बनाम लंदन आश्वासन निगम, 10 ऐप। कैस। 438. वाल्टर फ्लेचर अपनी ओर से और न्यासियों की ओर से और डॉक्टर के गुफा स्नान क्लब की समिति बनाम आयकर आयुक्त (1971) यूकेपीसी 30; द कार्लिस्ले एंड सिलोथ गोल्फ क्लब बनाम स्मिथ, (1912) 6 टी. सी. 48; रेक्सबी क्रेडिट यूनियन कोऑपरेटिव लिमिटेड बनाम। फेडरल कमिश्नर ऑफ टैक्सेशन, (1965) 112 सी. एल. आर. 564; बोहेमियंस क्लब बनाम. कार्यवाहक फेडरल कमिश्नर ऑफ टैक्सेशन, (1918) 24 सी. एल. आर. 334; इक्विटेबल लाइफ एस्योरेंस सोसाइटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बनाम. बिशप, (1900) 1 क्यू. बी. 177; पुनः:कराधान आयुक्त और:ऑस्ट्रेलियन म्यूजिक ट्रेडर्स एसोसिएशन, (1990) एफ. सी. ए. 261; जोन्स बनाम साउथ-वेस्ट लंकाशायर कोल ओनर्स एसोसिएशन लिमिटेड, (1927) ए. सी. 827; म्यूनिसिपल म्यूचुअल इंश्योरेंस लिमिटेड बनाम हिल्स, (1932) 16 टी. सी. 430; सोशल क्रेडिट सेविंग्स एंड लोन सोसाइटी लिमिटेड बनाम कराधान आयुक्त, (1971) 125 सी. एल. आर. 560; सिडनी वाटर बोर्ड एम्प्लॉइज क्रेडिट यूनियन लिमिटेड बनाम कराधान आयुक्त, (1973) 129 सी. एल. आर. 446; क्विन बनाम लीथम, 1901 ए. सी. 495 (एच. एल.); क्वालकास्ट (वॉल्वरहैम्प्टन) लिमिटेड बनाम।हेन्स, 1959 एससी 743; मर्सी डॉक्स बनाम लुकास, 8 ऐप। कैस। 891 -

संदर्भित किया गया।

हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, चौथा संस्करण, रीडिशू, Vol.23, पारस 224 985

सेकुंड क्लब ई. टी. सी. बनाम.C.I.T.-V ETC।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार:2012 की सिविल अपील सं. 5195-5201।आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद के दिनांकित निर्णय और आदेश से I.T.T.A. Nos.422,2006 का 529,530,531,532,533 और 2010 का 244।

सह

सिविल आवेदन NOS.5233,2023 का 5235-5237,2011 का SLP (C) NOS.16817,16819,16818, सिविल आवेदन NOS.5202-5209,5210-5217,5218-5219,5220-5227,5229,5231,5232,5238-5240,5241-5243,5244-5246,2023 का 5247-5249,2011 का SLP (C) NO.13986, सिविल आवेदन NOS.5201,2023 का 5228,5230,5234

रूप:

अरविंद पी. दातार, फिरोज बी. अंधारुजिना, प्रितेश कपूर, वरिष्ठ अधिवक्ता।, डी. अभिनव राव, मानेक अंधारुजिना, राहुल जाजू, सुश्री प्रेरणा रॉबिन, देवदिप्ता दास, सुश्री राधा रंगास्वामी, सुश्री रंजीता रोहतगी, सुश्री श्रीका गौतम, एम. पी. सेंथिल कुमार, वी. प्रभाकर, एन. जे. रामचंद्र, सुश्री ज्योति पाराशर, आर. चंद्रचूड़, ए. राधाकृष्णन, प्रताप वेणुगोपाल, सुश्री सुरेखा रमन, राहुल उन्नीकृष्णन, प्रशांत कुमार नायर, अभिषेक आनंद, श्रेयश कुमार, एम/एस. के. जे. जॉन एंड कंपनी, के. के. मणि, सुश्री टी. अर्चना, राजीव गुप्ता, विनय राजपूत, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

बलबीर सिंह, ए. एस. जी., अरिजीत प्रसाद, श्रीमती गार्गी खन्ना, श्रीमती अलका अग्रवाल, ए. के. कौल, प्रशांत सिंह आई., श्याम गोपाल, संतोष कुमार, प्रह्लाद सिंह, विजयानंद त्रिपाठी, इंद्रजीत प्रसाद, राज बहादुर यादव, श्रीमती अनिल कटियार, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च
न्यायालय का
निर्णय/आदेश

निर्णय

नागरत्ना, जे.

चूंकि 2011 की विशेष अनुमति याचिका संख्या 035895-035901 में अनुमति दी गई है, इसलिए संबंधित मामलों में भी अनुमति दी जाती है।

[2023] 12 एस सी आर।

2. इन मामलों में, चूंकि कानून और तथ्यों के सामान्य प्रश्न उत्पन्न होते हैं, इसलिए उन्हें एक साथ जोड़ा गया है और इस सामान्य निर्णय द्वारा सुना और निपटाया जाता है। ये अपीलें हैदराबाद में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालयों से मद्रास जिमखाना क्लब, मद्रास क्रिकेट क्लब, द कोयंबटूर कॉस्मोपॉलिटन क्लब, मद्रास क्लब, मैसर्स वेलिंगटन जिमखाना क्लब और मैसर्स कुन्नूर क्लब से संबंधित सिकंदराबाद क्लब और मद्रास उच्च न्यायालय से उत्पन्न होती हैं।

विवाद के बारे में पक्षियों का नज़रिया:

3. इन मामलों में कानून का एक छोटा लेकिन दिलचस्प सवाल उठता है, जो यह है कि क्या अपीलकर्ता क्लबों द्वारा विभिन्न बैंकों में बैंक जमा के माध्यम से अधिशेष धन जमा करने पर क्लबों के हाथों में कर लगाया जाना चाहिए या क्या पारस्परिकता का सिद्धांत लागू होगा और 1 जमा से अर्जित ब्याज आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद सुविधा के लिए "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के तहत कर के अधीन नहीं होगा। उच्च न्यायालयों ने विवादित निर्णयों में समान रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि क्लबों द्वारा की गई बैंक जमा पर अर्जित ब्याज पर क्लबों के हाथों में कर लगाया जा सकता है और पारस्परिकता का सिद्धांत लागू नहीं होगा।

4. उपरोक्त संदर्भ में, प्रासंगिक विवाद यह है कि क्या बेंगलोर क्लब बनाम आयुक्त के मामले में इस न्यायालय का निर्णय।

आयकर विभाग (2013) के 5 एस. सी. सी. 509 ("बेंगलोर क्लब") ने मांग की है कि आयुक्त में इस न्यायालय के पूर्व आदेश को देखते हुए पुनर्विचार

आयकर बनाम मैसर्स कानपुर क्लब लिमिटेड, कानपुर ("कानपुर क्लब")

(2004) 140 कर अधिकारी में रिपोर्ट किए गए **05.02.1998** पर इस न्यायालय द्वारा निपटाया गया

378 (एससी)।

5. उपरोक्त विवाद पर विचार करते समय, हम इन अपीलों का यह मानते हुए निपटारा करते हैं कि बेंगलोर क्लब के फैसले में पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है और इन अपीलों का निपटारा उक्त फैसले के संदर्भ में किया जा सकता है। हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं और आयकर आयुक्त, बिहार से संबंधित मामलों पर चर्चा करके अपने निष्कर्ष का समर्थन करते हैं।

बनाम बांकीपुर क्लब लिमिटेड **(1997) 5 एस. सी. सी. 394 ("बांकीपुर क्लब")**; कानपुर क्लब और बेंगलोर क्लब।

मामलों की त्रयी:क) बांकीपुर क्लब

इस मामले में, सात अपीलें सहित तेइस मामलों को, जिन्हें रद्द कर दिया गया था, कुछ समूहों में वर्गीकृत किया गया था जो निम्नानुसार हैं:

(i) समूह ए एक क्लब के नियमित सदस्यों को की गई बिक्री से उत्पन्न होने वाले लाभों के संबंध में प्रश्न से संबंधित है, जो पारस्परिकता के सिद्धांत पर छूट का हकदार है।

((ii) समूह बी इस प्रश्न के संबंध में था कि क्या किसी क्लब द्वारा अपनी आवासीय संपत्ति से अपने सदस्यों और उनके मेहमानों को पट्टे पर दी गई आय पर आयकर नहीं लगाया जाता है और क्या किसी क्लब द्वारा अपने सदस्यों और उनके मेहमानों को शराब की बिक्री से प्राप्त आय पर उसके हाथों में कर नहीं लगाया जाता है।

(iii) समूह सी के मामले इस सवाल से संबंधित थे कि क्या क्लब के भवन में सदस्यों को किराए पर दिए गए कक्ष, क्लब हाउस और मंडपों का वार्षिक मूल्य और क्लब के स्वामित्व वाली ऐसी संपत्तियों से अर्जित आय पर कर लगाया जाना चाहिए।

(iv) समूह डी के मामले इस सवाल के संबंध में थे कि क्या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत एक कंपनी के रूप में निगमित एफ. आई. एल. एम. वितरकों और प्रदर्शकों से युक्त एक संघ पर (ए) प्रवेश शुल्क, पुनः प्रवेश शुल्क, सदस्यों से आवधिक सदस्यता आदि के संबंध में "अन्य" और (बी) "सदस्यों को सेवा" शीर्षक के तहत सदस्यों को विशिष्ट सी सेवाएं प्रदान करने के लिए सदस्यों से सेवा शुल्क आदि के संबंध में कर लगाया जाना चाहिए या यह पारस्परिकता के सिद्धांत पर कर योग्य नहीं होगा।

(v) समूह ई संबंधित मामले जहां निर्धारिती क्लबों ने पट्टे पर दी गई संपत्ति से आय प्राप्त की थी और क्लबों द्वारा निश्चित जमा रसीद (एफ. डी. आर.), राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (एन. एस. सी.) आदि से प्राप्त ब्याज भी प्राप्त किया था।

बांकीपुर क्लब के पैराग्राफ 4 और 19 प्रासंगिक हैं और वे नीचे लिखे अनुसार हैं:

4. समूह ई-सी. आई. टी. बनाम कानपुर क्लब लिमिटेड (सात अपील) के अंतर्गत आने वाली अपीलों को रद्द कर दिया गया है और उन्हें पोस्ट किया जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

योग्यता के आधार पर अलग से सुनवाई की जाए।हम इसका कारण थोड़ी देर बाद बताएँगे।

XXX

19. समूह ए से डी में आने वाले मामलों के उपरोक्त चार समूह अकेले इस निर्णय के दायरे में आएंगे। समूह ई में आने वाले 7 मामलों/अपीलों के संबंध में, निर्धारिती कानपुर क्लब लिमिटेड है। यह देखा गया है कि निर्धारिती के मामले में जिस आय का आकलन करने की मांग की गई थी, वह पट्टे पर दी गई संपत्ति और एफ. डी. आर., एन. एस. सी. आदि से प्राप्त ब्याज से प्राप्त थी। इन मामलों में, न्यायालय ने कहा कि आय का आकलन "अन्य स्रोतों" से किया जाना चाहिए न कि संपत्ति से आय के रूप में।

ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि पारस्परिकता के सिद्धांत पर आय को पूरी तरह से छूट देने का बड़ा तर्क, के पक्ष में निर्णय लिया गया था

मूल्यांकनकर्ता। राजस्व के नेतृत्व में की गई अपीलों में, एकमात्र प्रश्न जो संभवतः उत्पन्न हो सकता है, वह यह है कि क्या किराए पर दी गई संपत्ति से प्राप्त आय और एफ. डी. आर., एन. एस. सी. आदि के माध्यम से ब्याज को "संपत्ति से आय" शीर्ष के तहत कर में लाया जा सकता है। चूंकि सात मामलों के इस समूह में उठाया गया मुद्दा समूह ए से डी के तहत आने वाले अन्य मामलों में शामिल मुद्दे के समान या समान नहीं है, इसलिए हम इस समूह (समूह ई) के मामलों में तथ्यों या अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्णयों से निपटने का प्रस्ताव नहीं करते हैं। हम समूह ई के तहत आने वाले मामलों को अलग करने का प्रस्ताव करते हैं और उन्हें एक उपयुक्त पीठ के समक्ष सुनवाई और निपटान के लिए अलग से तैनात करने का निर्देश देते हैं।

(हम पर जोर दें)

ख) कानपुर क्लब:

कानपुर क्लब के संबंध में समूह ई मामलों को अलग करने के बाद, अपीलों के उन समूह में पारित आदेश जो समूह ई मामलों का गठन करते थे, निम्नानुसार है:

“भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

सिविल अपील संख्या 1991 की 1,1991,4534,1995 की 1,92,4303,1996 की 3840 और 1995 की 8046 5 फरवरी 1998

तय किया गया: 05.02.1998 989

सेकुंड क्लब ई. टी. सी. बनाम. C.I.T.-V ETC। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 990

याचिकाकर्ताओं: आयकर आयुक्त बनाम।

उत्तरदाता: कानपुर क्लब लिमिटेड

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में बी. के. कृपाल और एस. पी. कुर्दुकर, जे. जे.

आदेश

1. उच्च न्यायालय ने एक ही निर्धारिती से संबंधित अन्य मामलों में जिन प्रश्नों का निर्णय लिया था, उनमें से एक यह था कि पारस्परिकता का सिद्धांत लागू होता है और इसलिए, निर्धारिती द्वारा अपने सदस्यों को दिए गए कमरों से अर्जित आय पर कर नहीं लगाया जा सकता है। उक्त निर्णय के खिलाफ कोई अपील नहीं की गई थी और जहां तक निर्धारिती का संबंध है, मामले समाप्त हो गए थे। ऐसा होने पर, अन्य प्रश्नों पर अपीलों के साथ आगे बढ़ने में कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा जब पारस्परिकता के सिद्धांत के कारण प्रतिवादी पर कर नहीं लगाया जा सकता है।

2. तदनुसार अपीलों को खारिज कर दिया गया। सभी पक्ष अपना खर्च स्वयं वहां करेंगे। " (हम जोर देते हैं) उपरोक्त आदेश इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 05.02.1998 पर पारित किया गया था।

ग) बेंगलोर क्लब:

इसके बाद, बेंगलोर क्लब के मामले में निर्णय दो अन्य न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 14.01.2013 पर दिया गया।

बेंगलोर क्लब में, सवाल यह था कि क्या संबंधित मूल्यांकन वर्षों के लिए, उक्त क्लब ने पारस्परिकता के सिद्धांत के आधार पर कुछ बैंकों में रखी गई जमा राशि पर अर्जित ब्याज पर आयकर के भुगतान से छूट की मांग की थी, जो उक्त क्लब के कॉर्पोरेट सदस्य थे। हालांकि, गैर-सदस्य बैंकों में रखी गई जमा राशि पर अर्जित ब्याज पर कर का भुगतान किया जाता था। उक्त मामले में, उक्त क्लब की अधिशेष राशि चार बैंकों में जमा की गई थी जो उक्त क्लब के सदस्य थे। सवाल यह उठा कि क्या पारस्परिकता का सिद्धांत उक्त चार बैंकों में जमा की गई निधियों पर लागू होगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त धनराशि चार बैंकों सहित कई सदस्यों के योगदान से जुटाई गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

वे उक्त क्लब के निगमित सदस्य थे और इससे प्राप्त ब्याज का उपयोग निर्धारिती क्लब के कई सदस्यों द्वारा किया गया था, उक्त मामले में, उच्च न्यायालय ने फिर भी कहा कि "कोई भी व्यक्ति अपने साथ व्यापार नहीं कर सकता" का सिद्धांत अपने ग्राहक की ओर से जमा राशि रखने वाले राष्ट्रीयकृत बैंकों के संबंध में उपलब्ध नहीं होगा। कि संबंध एक बैंकर और एक ग्राहक का है। नतीजतन, उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के फैसले को उलट दिया और मूल्यांकन अधिकारी के आदेश को बहाल कर दिया। इसलिए, इस न्यायालय के समक्ष निर्धारिती बेंगलोर क्लब के नेतृत्व में एक अपील दायर की गई थी।

इस न्यायालय के समक्ष निर्धारण के लिए प्रश्न यह था कि क्या निर्धारिती द्वारा निगमित सदस्य बैंकों में जमा की गई अधिशेष राशि पर अर्जित ब्याज को पारस्परिकता के सिद्धांत के आधार पर

आयकर लगाने से छूट दी गई है या नहीं। अधिनियम के प्रावधान के संदर्भ में पारस्परिकता के सिद्धांत की सामान्य समझ की सराहना करने के बाद और

न्यूयॉर्क जीवन बीमा कंपनी बनाम शैलियाँ (करों का सर्वेक्षणकर्ता), (1886-90) सभी ER प्रतिनिधि विस्तार 1362 ("शैलियाँ") और सदन के अन्य निर्णय

लॉर्ड्स और ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय और साइमन के कर खंड का उल्लेख करके। B. 3rd Edn., Paras B 1.218 और B 1.222 (pp.159 और 167) को निम्नानुसार देखा गया:

“18. संक्षेप में, प्रतिभागियों के वर्ग और योगदानकर्ताओं के वर्ग के बीच एक पूर्ण पहचान होनी चाहिए; विशेष लेबल या रूप जिसके द्वारा पारस्परिक संबंध ज्ञात है, उसका कोई परिणाम नहीं है। कंगा और पालखीवाला ने द लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ इनकम टैक्स (8 वीं संस्करण, खंड) में इस अवधारणा की व्याख्या की है। आई, 1990) पी। 113 इस प्रकार है:

“1. योगदानकर्ताओं और योगदानकर्ताओं के बीच पूर्ण पहचान

प्रतिभागी।- ‘... सामान्य निधि में योगदानकर्ता और अधिशेष में प्रतिभागी एक समान निकाय होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक सदस्य को सामान्य निधि में योगदान देना चाहिए या प्रत्येक सदस्य को अधिशेष में भाग लेना चाहिए या अधिशेष से ठीक वही वापस प्राप्त करना चाहिए जो उसने भुगतान किया है।’ द.

मद्रास, आंध्र प्रदेश और केरल उच्च न्यायालयों ने माना है कि पारस्परिकता की कसौटी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि सामान्य निधि में योगदानकर्ताओं को स्वेच्छा से अतिरिक्त राशि को आपस में वितरित करना चाहिए: यह पर्याप्त है यदि उन्हें अधिशेष पर निपटान का अधिकार है, और उस अधिकार का प्रयोग करते हुए वे सहमत हो सकते हैं कि 991 पर

सेकुंड क्लब ई. टी. सी. बनाम C.I.T.-V ETC। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 992

अधिशेष को समाप्त करने के लिए एक समान संघ को हस्तांतरित किया जाएगा या कुछ धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा।”

(जोर दिया गया)

XXX

22. दूसरी विशेषता यह माँग करती है कि प्रतिभागियों और योगदानकर्ताओं के कार्य संघ के जनादेश को आगे बढ़ाने के लिए होने चाहिए। क्लब के मामले में, यह दिखाना आवश्यक होगा कि उन गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाते हैं जो क्लब और उसके सदस्यों को लाभान्वित करते हैं। इसलिए, चेम्सफोर्ड क्लब में, चूंकि अपीलकर्ता विशेष रूप से अपने सदस्यों और उनके मेहमानों को "नो-प्रोफी टी-नो-लॉस" के आधार पर मनोरंजक सुविधाएं प्रदान करता

था और अधिशेष, यदि कोई हो, का उपयोग केवल क्लब के रखरखाव और विकास के लिए किया जाता था, इसलिए अदालत ने पारस्परिकता के अपवाद की अनुमति दी।

23. क्लब का अधिदेश तथ्य का प्रश्न है और इसका निर्धारण ज्ञापन या संघ के लेख, सदस्यता के नियम, संगठन के नियम आदि से किया जा सकता है। हालाँकि, जनादेश को मायोपिक रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। जबकि कुछ स्थितियों में, लाभ सीधे अल्पावधि में स्पष्ट हो सकते हैं, अन्य में, वे अप्रत्यक्ष रूप से एक संगठन के लिए दीर्घावधि में उपार्जित हो सकते हैं। संगठन और उसके सदस्यों के बीच बातचीत के दोनों रूपों के लिए जगह बनाई जानी चाहिए। इसलिए, जैसा कि फिनले, जे. ने राष्ट्रीय संगठन में देखा है।

स्थानीय सरकार। ऑफ़ीसर्स बनाम वॉटकिंस (कर निरीक्षक), जहाँ सदस्य

एक क्लब रात के खाने का ऑर्डर देता है और उसका सेवन करता है, उसे कोई बिक्री नहीं होती है।

उसी समय, जैसा कि सी. आई. टी. बनाम बांकीपुर क्लब लिमिटेड में है, जहाँ एक क्लब

“सदस्यों द्वारा भुगतान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं के लिए सदस्यताओं और शुल्कों से अतिरिक्त प्राप्ति, भले ही ग्राहकों को प्राप्ति का कोई प्रत्यक्ष लाभ न हो, यह तथ्य कि उनका उपयोग अंततः क्लब की सेवाओं को आगे बढ़ाने में किया जाएगा, क्लब के अधिदेश को आगे बढ़ाने के रूप में माना जाना चाहिए।

24. तीसरा, योगदानकर्ताओं द्वारा उनके द्वारा बनाई गई निधि से मुनाफाखोरी की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, जिसे केवल खर्च किया जा सकता है या खुद को वापस किया जा सकता है। लोकस क्लासिक्स उच्चारण रॉलेट से आता है, थॉमस (कर निरीक्षक) बनाम जे. की टिप्पणियाँ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

रिचर्ड इवांस एंड कंपनी लिमिटेड, जिसमें स्टाइल्स मामले की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि यदि लाभ शेयरधारकों को शेयरधारकों के रूप में वितरित किए जाते हैं, तो पारस्परिकता का सिद्धांत संतुष्ट नहीं होता है। उन्होंने इस प्रकार टिप्पणी की: (रिचर्ड इवांस मामला, के. बी. पीपी. 46-47)

“... लेकिन एक कंपनी अपने सदस्यों से ग्राहकों के रूप में लाभ कमा सकती है, हालांकि इसके ग्राहकों की सीमा इसके शेयरधारकों तक सीमित है। यदि कोई रेलवे कंपनी अपने शेयरधारकों को साथ लेकर लाभ कमाती है, या यदि कोई व्यापारिक कंपनी, शेयरधारकों के साथ व्यापार करके, भले ही वह उनके साथ व्यापार करने तक सीमित हो,

एक लाभ, वह लाभ एक अर्थ में शेयरधारकों का है, लेकिन यह उनके शेयरधारकों का है। यह उनके पास खरीदार या ग्राहक के रूप में वापस नहीं आता है; यह उनके पास वापस आता है

शेयरधारक अपने शेयरों पर। जहां एक कंपनी जो कुछ भी करती है वह एक निश्चित संख्या में लोगों से धन एकत्र करना है-चाहे उन्हें कंपनी का सदस्य कहा जाए या भाग लेने वाले पॉलिसी धारक-और इसे उन्हीं लोगों के लाभ के लिए लागू करें, न कि कंपनी में शेयरधारकों के रूप में, बल्कि उन लोगों के रूप में जिन्होंने इसे सदस्यता दी है, तो जैसा कि मैं स्टाइल्स मामले को समझता हूँ, कोई लाभ नहीं है। यदि लोग अपने लिए काम करते हैं, तो कोई लाभ नहीं होगा, और यह तथ्य कि वे अपने लिए ऐसा करने के लिए एक कानूनी इकाई को शामिल करते हैं, कोई अंतर नहीं है; अभी भी कोई लाभ नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि कंपनी की इकाई की अवहेलना की जानी चाहिए; ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई लाभ नहीं है, पैसा केवल उन लोगों से एकत्र किया जा रहा है और उन्हें वापस सौंप दिया जा रहा है, शेयरधारकों के चरित्र में नहीं, बल्कि उन लोगों के चरित्र में जिन्होंने इसे भुगतान किया है। कि, जैसा कि मैं समझता हूँ [यह], का प्रभाव है

स्टाइल्स मामले में निर्णय।"

(जोर दिया गया)

XXX

28. यह हमें वर्तमान मामले के तथ्यों पर लाता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, निर्धारिती एक ए. ओ. पी. है। संबंधित बैंक क्लब के सभी निगमित सदस्य हैं। गैर-सदस्य बैंकों में रखी गई सावधि जमाओं से अर्जित ब्याज को कराधान के लिए बंद कर दिया गया था और देय कर का भुगतान किया गया था।

993

सेकुंड क्लब ई. टी. सी. बनाम. C.I.T.-V ETC। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 994

इसलिए, हमें निर्धारिती के मामले की जांच करने की आवश्यकता है, सदस्य बैंकों में जमा राशि पर अर्जित ब्याज के संबंध में, ऊपर उल्लिखित तीन संचयी शर्तों की कसौटी पर।

29. सबसे पहले, व्यवस्था में योगदानकर्ताओं और प्रतिभागियों के बीच एक पूर्ण पहचान का अभाव है। अधिशेष निधि के सृजन के चरण तक, व्यवस्था पारस्परिकता के समान थी; आने-जाने वाले धन को बैंकों और क्लब द्वारा बनाए गए बंद परिपथ के भीतर बनाए रखा जाता था, और उस हद तक, कोई भी व्यक्ति जो इस पारस्परिकता से अनजान था, इस व्यवस्था से लाभान्वित नहीं होता था। हालांकि, जैसे ही इन निधियों को बैंकों में जमा राशि में रखा गया, बैंकों और क्लब के बीच धन का बंद बकाया वाणिज्यिक बैंकिंग संचालन के संपर्क में आने के कारण अपव्यय कार्यों से भर गया। अपने बैंकिंग व्यवसाय के दौरान, सदस्य बैंकों ने अपने ग्राहकों को ऋण देने के लिए इस तरह की जमा राशि का उपयोग किया। इसलिए, वर्तमान मामले में,

पारस्परिकता के धन के साथ, सदस्य बैंक पारस्परिकता के बाहर तीसरे पक्ष के साथ वाणिज्यिक संचालन में लगे हुए हैं, जिससे "पारस्परिकता की गोपनीयता" टूट जाती है, और इसके परिणामस्वरूप, प्रथम शर्त द्वारा अनिवार्य योगदानकर्ताओं और प्रतिभागियों के बीच एक-से-एक पहचान का उल्लंघन होता है। इस प्रकार, हमारे समक्ष मामले में पारस्परिकता के दावे के लिए पहली शर्त संतुष्ट नहीं है।

30. जैसा कि ऊपर कहा गया है, दूसरी शर्त यह माँग करती है कि पारस्परिकता के सिद्धांत पर कर से छूट का दावा करने के लिए, अतिरिक्त धन का उपचार क्लब के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में होना चाहिए, जो कि यहाँ मामला नहीं है। तत्काल मामले में, अधिशेष निधि का उपयोग किसी भी विशिष्ट सेवा, बुनियादी ढांचे, रखरखाव या क्लब के सदस्य के लिए किसी अन्य प्रत्यक्ष लाभ के लिए नहीं किया गया था। इन्हें पारस्परिकता से बाहर कर दिया गया था जब सदस्य बैंकों ने इसे तीसरे पक्ष के निपटान में रखा था, इस प्रकार, बैंक और बैंक के ग्राहकों के बीच एक स्वतंत्र अनुबंध शुरू किया, एक तीसरा पक्ष, पारस्परिकता के लिए गोपनीय नहीं था। इस अनुबंध में क्लब और उसके सदस्य के बीच निकटता की कमी थी, जिससे दूर और अप्रत्यक्ष रूप से क्लब को लाभ हो सकता है, फिर भी, इसे अपने उद्देश्यों की खोज में क्लब की गतिविधि के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। इस बात पर बहुत कम जोर देने की आवश्यकता है कि दूसरी शर्त क्लब के कामकाज के लिए प्रत्यक्ष लाभ के साथ एक प्रत्यक्ष कदम का प्रतिपादन करती है। तर्क के लिए, कोई दूरस्थ कनेक्शन खींच सकता है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

एक क्लब के कामकाज के लिए सबसे बेशर्म वाणिज्यिक गतिविधियों के साथ। हालाँकि, दूसरी स्थिति का डिज़ाइन ऐसा नहीं है। इसलिए इसका उल्लंघन किया जाता है।

31. हाथ में मौजूद तथ्य पारस्परिकता सिद्धांत की तीसरी शर्त को पूरा करने में भी विफल रहते हैं, यानी यह असंभव है कि योगदानकर्ताओं को एक निधि में स्वयं द्वारा किए गए योगदान से लाभ प्राप्त करना चाहिए जिसे केवल खर्च किया जा सकता है या खुद को वापस किया जा सकता है। इस सिद्धांत के लिए आवश्यक है कि धन को योगदानकर्ताओं को वापस किया जाना चाहिए और साथ ही केवल योगदानकर्ताओं पर खर्च किया जाना चाहिए। यह सच है कि वर्तमान मामले में, धन क्लब को वापस आ जाता है। हालाँकि, इससे पहले, वे गैर-सदस्यों यानी बैंक के ग्राहकों पर खर्च किए जाते हैं। बैंक निर्धारित क्लब को कम ब्याज दर का भुगतान करके राजस्व उत्पन्न करते हैं, जो उनके साथ जमा करता है, और फिर जमा की गई राशि को तीसरे पक्ष को उच्च ब्याज दर पर ऋण देते हैं। हमारी राय में, वाणिज्यिक कारणों से बैंकों द्वारा बाहरी लोगों को क्लब के धन से ऋण देना पारस्परिकता की कड़ी को तोड़ता है और इस प्रकार, तीसरी शर्त का उल्लंघन करता है।

32. अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो दर्शाता हो कि बैंकों ने क्लब से आने वाले धन के लिए अलग और विशेष प्रावधान किए थे, या कि उन्होंने उन्हें ऋण नहीं दिया था। इसलिए, स्पष्ट रूप से, क्लब ने अपने सदस्यों से क्लब को मिलने वाले व्यवहार को नहीं दिया, या प्राप्त नहीं किया; उनके बीच बातचीत स्पष्ट रूप से एक बैंक और उसके ग्राहक के बीच एक को दर्शाती है। यह सीधे तौर पर तीसरी शर्त का उल्लंघन करता है जैसा कि शैलियों में स्पष्ट किया गया है और

कुंभकोणम म्यूचुअल बेनिफिट फंड लिमिटेड मामले।"

XXX

34. वर्तमान मामले में, क्लब द्वारा जमा की गई अधिशेष राशि पर ब्याज बैंक में खाताधारक द्वारा की गई किसी भी अन्य जमा राशि की तरह ही उपार्जित होता है।

XXX

37. हम यह भी जोड़ सकते हैं कि निर्धारिती पहले से ही अपने सदस्यों द्वारा प्राप्त कुछ सुविधाओं के लिए योगदान या मूल्य के रूप में प्राप्त अधिशेष राशि के संबंध में पारस्परिकता के सिद्धांत का लाभ उठा रहा है, इससे पहले कि इसे बैंक में जमा किया जाए। इस अधिशेष राशि को आय के रूप में नहीं माना जाता था; क्योंकि यह क्लब के पास छोड़े गए संग्रह का अवशेष था। 995 किसी क्लब का अग्रभाग नहीं बनाया जा सकता है।

सेकुंड क्लब ई. टी. सी. बनाम. C.I.T.-V ETC। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 996

कर के दायित्व से बचने के लिए वाणिज्यिक लेन-देन पर। इस तरह की व्यवस्थाओं को पारस्परिकता के दोहरे लाभ का दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हम महसूस करते हैं कि वर्तमान मामला एक स्पष्ट उदाहरण है जिसके खिलाफ इस अदालत ने बांकीपुर क्लब में आगाह किया था, जब उसने कहा था: (एस. सी. सी. पी. 22, पैरा 22)

"22. ... यदि 'पारस्परिक सरोकार' या 'क्लब' होने का दावा करने वाली निर्धारिती कंपनी का उद्देश्य किसी विशेष व्यवसाय को चलाना है और सदस्यों और गैर-सदस्यों दोनों से धन प्राप्त किया जाता है, तो उसके द्वारा किए गए एक ही व्यवसाय के संबंध में सभी को समान या समान सुविधाएँ देकर समान विचार किया जाता है, तो समग्र रूप से लेनदेन एक ही लाभ अर्जित करने के उद्देश्य को प्रकट करते हैं और समान रूप से व्यावसायिकता से दूषित होते हैं। दूसरे शब्दों में, ऐसे मामलों में निर्धारिती द्वारा 'पारस्परिक सरोकार' या 'सदस्यों का समूह' होने का दावा करने वाली गतिविधि व्यापार की प्रकृति में एक व्यापार या साहसिक कार्य है और सदस्यों या गैर-सदस्यों के साथ किया गया लेनदेन समान रूप से एक व्यापार/व्यवसाय/लेनदेन है और परिणामी अधिशेष निश्चित रूप से कर के लिए उत्तरदायी लाभ-आय है। हमें भी करना चाहिए।

यह कहना कि 'पारस्परिकता का संबंध किस बिंदु पर समाप्त होता है और व्यापार शुरू होता है' एक अलग पंथ और परेशान करने वाला सवाल है। किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए कई कारकों

पर विचार करना पड़ सकता है। 'एक-दूसरे के साथ काम करने वाले व्यक्ति "पारस्परिक समूह" हैं या नहीं या किसी व्यापारिक गतिविधि को आगे बढ़ा रहे हैं या व्यापार की प्रकृति में कोई साहसिक कार्य कर रहे हैं, यह काफी हद तक तथ्य का सवाल है। (विल्कॉक मामले, टी. सी. पी. 132 :पृष्ठ 44 और 45 पर के. बी.)”

(जोर दिया गया) 38। हमारी राय में, उपरोक्त अधिशेष राशि के विपरीत, जो पारस्परिकता के सिद्धांत के तहत कर से मुक्त है, निर्धारिती द्वारा उपरोक्त चार बैंकों से अर्जित ब्याज की राशि पारस्परिकता सिद्धांत के दायरे में नहीं आएगी और इसलिए, निर्धारिती क्लब के हाथों में आयकर के लिए उपयुक्त होगी।

केनरा बैंक:

बार में अग्रिम प्रस्तुतियों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ने से पहले,

केनरा बैंक स्वर्ण जयंती कर्मचारी कल्याण कोष बनाम आयकर उपायुक्त, (2009) 308 आई. टी. आर. 202 (कर) पर चर्चा करना उपयोगी होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

(“केनरा बैंक) के रूप में विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री दातार ने हममें से एक, न्यायमूर्ति नागरत्ना द्वारा लिखित कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ के उक्त निर्णय पर भरोसा किया है। उक्त मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि शेयरों पर निवेश और लाभांश पर ब्याज पारस्परिकता के सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है और इसलिए, कर योग्य नहीं है, इन निर्णयों पर भरोसा करके।

नटराज वित्त निगम (1988) 169 आई. टी. आर. 732 और चेम्सफोर्ड क्लब

(2000) 243 आई. टी. आर. 89 और आई. टी. आई. कर्मचारियों में निर्णय को अलग करके

मृत्यु और सेवानिवृत्ति राहत कोष, (1998) 234 आई. टी. आर. 308 (कर)।द.

उपरोक्त निष्कर्ष दो सुसंगत वर्षों के दौरान निर्धारिती की निधि के स्रोत पर आधारित था। इसमें आगे यह देखा गया कि संबंधित निर्धारण वर्षों के दौरान निर्धारिती के सदस्यों द्वारा निधि के स्रोत का पूरी तरह से योगदान किया गया था और इसलिए, उपरोक्त दो शीर्षों पर आय को कर योग्य नहीं माना गया था। उक्त निर्णय के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28.07.2009 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। हालांकि, दो अन्य उच्च न्यायालयों, बॉम्बे उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय ने केनरा बैंक में टिप्पणियों के संबंध

में आपत्ति व्यक्त की। डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ जे. (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) के माध्यम से बोलते हुए, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा

आयकर आयुक्त बनाम कॉमन एफ्लू क्वेंट ट्रीटमेंट प्लांट, (ठाणे-बेलापुर) एसोसिएशन, **(2010) 328 आई. टी. आर. 362** में कि

केनरा बैंक ने एक अलग टिप्पणी की थी और इसलिए, उक्त निर्णय को विशेष तथ्यों के साथ जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि वे उस मामले में होते हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केनरा बैंक में इस मुद्दे पर विचार करते हुए निर्धारिती के धन के स्रोत पर बहुत जोर दिया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह यह स्पष्ट कर रहा है कि उसका निष्कर्ष "आधारित है

दो सुसंगत वर्षों के दौरान निर्धारिती की निधि का स्रोत। यह था।

इस बात पर ध्यान दिया गया कि केवल यह तथ्य कि जिन निधियों का बैंकों में निवेश किया गया था, वे ऐसी निधियां थीं जो निर्धारिती के सदस्यों द्वारा किए गए योगदान से उत्पन्न हुई थीं, इन निधियों के निवेश से प्राप्त ब्याज के कारण प्राप्तियों की कर योग्यता के संबंध में प्रश्न का निष्कर्ष नहीं निकाल सकती हैं। बंबई उच्च न्यायालय के अनुसार इन प्राप्तियों में अन्य स्रोतों से होने वाली आय का स्वरूप शामिल होना चाहिए और यह कर के लिए उपयुक्त होगी।

मद्रास में जिमखाना क्लब बनाम आय उपायुक्त

कर **(2010) 328 आई. टी. आर. (एम. ए. डी.) मद्रास उच्च न्यायालय 997** की एक खंड पीठ

सेकुंड क्लब ई. टी. सी. बनाम. C.I.T.-V ETC। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 998

अदालत ने कहा कि केनरा बैंक में जो कुछ भी कहा गया था, उसे उस मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों में समझना होगा और इसका सार्वभौमिक अनुप्रयोग नहीं हो सकता है। यह भी देखा गया कि कुछ सदस्य बैंकों और अन्य संस्थानों के साथ अधिशेष निधि का वित्तीय जमा और प्रतिभूति के रूप में निवेश, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज अर्जित होता है, पारस्परिकता अवधारणा को संतुष्ट करने के लिए नहीं रखा जा सकता है।

प्रस्तुतियाँ:

6. विवाद के मुद्दे पर इस न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालयों के निर्णयों की उपरोक्त पृष्ठभूमि में, अब हम प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करेंगे।

अपीलार्थियों की प्रस्तुतियाँ:

6.1 कुछ अपीलकर्ता क्लबों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अरविंद दातार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों का केंद्रीय विषय यह है कि बेंगलूर क्लब में इस न्यायालय का दो न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय एक बाध्यकारी मिसाल नहीं है और इसलिए पुनर्विचार के लिए

एक ही आह्वान है। इस संबंध में, हमारा ध्यान कानपुर क्लब के मामले में इस न्यायालय की एक अन्य दो-न्यायाधीशों की पीठ के आदेश की ओर आकर्षित किया गया था, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि बेंगलूर क्लब में निर्णय कानपुर क्लब में पारित आदेश पर ध्यान नहीं देता है, जिसमें बाद वाला अपीलकर्ता-निर्धारकों के पक्ष में है, और इसलिए, बेंगलूर क्लब में निर्णय पुनर्विचार के लिए कहता है। इस संबंध में, केनरा बैंक में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को संदर्भित किया गया था और यह तर्क देने के लिए भरोसा किया गया था कि पारस्परिकता का सिद्धांत विभिन्न बैंकों में अपीलकर्ता-क्लबों द्वारा निवेश की गई जमा राशि, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र आदि से अर्जित ब्याज पर भी लागू होगा, जो इन क्लबों के कॉर्पोरेट सदस्य हो भी सकते हैं और नहीं भी।

6.2 श्री दातार ने उक्त दलीलों के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि कई क्लबों द्वारा खाद्य और पेय पदार्थों की आपूर्ति, प्रवेश शुल्क, खेल और अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने या किराए के कमरे, हॉल आदि के माध्यम से प्राप्त आय को पारस्परिकता के सिद्धांत के आधार पर आयकर के भुगतान से छूट दी गई है। कि बांकीपुर क्लब में, इस न्यायालय ने मामलों को पांच समूहों (ऊपर निर्दिष्ट) और समूह 'ई' मामलों में विभाजित किया था, जो कमरों के किराए से अर्जित आय और सावधि जमा, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र आदि से अर्जित ब्याज से संबंधित थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

जुड़ा हुआ है। समूह 'ई' में सात मामले थे जिनका निर्णय बांकीपुर क्लब में नहीं किया गया था, लेकिन शेष मामलों में, इस न्यायालय ने पारस्परिकता के सिद्धांत को क्लब द्वारा अर्जित आय पर लागू होने के रूप में बरकरार रखा और ऐसी आय को आयकर के भुगतान से छूट दी। इस संबंध में, यह रेखांकित किया गया कि एक सामाजिक क्लब द्वारा अपने सदस्यों को दी जाने वाली सेवाएं किसी लाभ के उद्देश्य से नहीं हैं और इसलिए, व्यावसायिकता से दूषित नहीं हैं। श्री दातार ने प्रस्तुत किया कि समूह "ई" मामलों को अलग करने के बाद, कानपुर क्लब में इस अदालत ने कहा कि राजस्व ने कमरों के किराए से होने वाली आय के संबंध में अपील नहीं की थी और उन अपीलों में जो अन्य प्रश्न उठे थे, उनमें बैंकों में निवेश की गई सावधि जमा आदि पर अर्जित ब्याज का प्रश्न भी शामिल था और यह माना गया था कि ऐसा ब्याज भी पारस्परिकता के सिद्धांत पर कर योग्य नहीं था। इसलिए, क्लबों द्वारा निश्चित जमा, पोस्ट ऑफिस सी. ई. जमा आदि के रूप में की गई अधिशेष आय के निवेश को पारस्परिकता सिद्धांत के आधार पर आयकर के भुगतान से छूट दी गई थी।

6.3 इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया कि कानपुर क्लब के मामले में लिए गए दृष्टिकोण और बेंगलूर क्लब में इस अदालत के फैसले के बीच एक सीधा टकराव है जो दोनों न्यायाधीशों की पीठ के फैसले हैं। वर्ष 2004 से 2013 तक, जब इस न्यायालय द्वारा बेंगलूर क्लब में निर्णय दिया गया था, क्लबों द्वारा सावधि जमा, पोस्ट ऑफिस जमा से अर्जित सभी ब्याज आयकर के भुगतान से छूट का हकदार था क्योंकि यह क्लबों की अधिशेष आय थी जो बिना किसी लाभ के

राज्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य बनाम पश्चिम
बंगाल राज्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य बनाम
पश्चिम बंगाल राज्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य बनाम पश्चिम बंगाल
राज्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य बनाम पश्चिम
बंगाल राज्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य बनाम पश्चिम बंगाल

6.7 कानपुर क्लब के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर भारी निर्भरता रखते हुए, जिसे बैंगलोर क्लब में बाद के फैसले में नहीं देखा गया है, श्री दातार द्वारा यह तर्क दिया गया था कि कानपुर क्लब में आदेश विलय के सिद्धांत को आकर्षित करता है क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय इस न्यायालय के आदेश के साथ विलय हो गया था और परिणामस्वरूप, इस न्यायालय का आदेश संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत एक बाध्यकारी मिसाल बन गया था। इसलिए, उक्त मिसाल का उल्लेख नहीं करने के लिए, बैंगलोर क्लब में निर्णय पर पुनर्विचार किया जा सकता है। इस संदर्भ में, मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भरता रखी गई थी

यह तर्क देने के लिए कि जब एक विशेष अनुमति याचिका को सिविल अपील में परिवर्तित किया जाता है, और सिविल अपील में एक निर्णय दिया जाता है, तो उसी का पालन सभी न्यायालयों द्वारा बाद में किया जाना एक बाध्यकारी उदाहरण है, जब तक कि यह न्यायालय यह नहीं मानता है कि उक्त निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, जिस स्थिति में, मामला

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसे एक बड़ी पीठ के पास भेजना होगा। ऐसा नहीं किए जाने के बाद, अब दो निर्णय हैं जिन्होंने बिल्कुल विपरीत विचार लिए हैं, अर्थात्, कानपुर क्लब के मामले में और बेंगलोर क्लब के मामले में और इसलिए, मामलों के इस समूह को इस मुद्दे पर सही कानून बनाने के लिए एक बड़ी पीठ को भेजा जा सकता है।

6.8 यह भी प्रस्तुत किया गया कि आई. टी. ए. टी., हैदराबाद पीठ, फतेह में मैदान क्लब बनाम आई. टी. ए. में सहायक आयकर आयुक्त Nos.937,

939, 947 और 952/हाईड/1995 और 716 से 720/हाईड/2000, सहायकवर्ष। 1983-84 इस न्यायालय ने कानपुर क्लब में उच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार किया था और इस मुद्दे सहित सभी मुद्दों पर निर्धारिती के पक्ष में निर्णय दिया था कि क्या क्लबों द्वारा बैंकों में की गई जमा राशि, कार्यालयों के बाद की जमा राशि आदि से अर्जित ब्याज आय को पारस्परिकता के सिद्धांत के आधार पर कर से छूट दी जाएगी। इसलिए, कानपुर क्लब में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की समझ में निरंतरता थी और अब बेंगलोर क्लब में इस न्यायालय के बाद के फैसले से इसे हल्का कर दिया गया है। इसलिए, मामले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है और बेंगलोर क्लब में इस न्यायालय के फैसले की शुद्धता पर पुनर्विचार और विचार करना आवश्यक है और इसलिए, इन अपीलों को एक बड़ी पीठ को भेजा जा सकता है।

6.9 श्री आन्ध्र्यार्जुन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने शुरुआत में अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा 24 का उल्लेख किया जो आयकर की अवहेलना करती है और विशेष रूप से खंड (vii) जो एक पारस्परिक बीमा कंपनी या एक सहकारी समिति द्वारा किए गए बीमा के किसी भी व्यवसाय के लाभ और लाभ के बारे में बात करता है, जिसकी गणना धारा 44 के अनुसार की जाती है या अधिनियम की पहली अनुसूची में निहित प्रावधानों के आधार पर किसी भी अधिशेष को लाभ और लाभ माना जाता है। कि उक्त प्रावधान के तहत एक पारस्परिक बीमा कंपनी या एक सहकारी समिति द्वारा किए गए बीमा के किसी भी व्यवसाय द्वारा अर्जित आय को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है, लेकिन अन्य सभी संस्थाएं जैसे कि सामाजिक क्लब उक्त प्रावधान के दायरे में नहीं आते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसी संस्थाएं आय की अवज्ञा के भीतर शामिल होने के लिए कोई लाभ अर्जित नहीं करती हैं। इस संबंध में, अधिनियम की धारा 56 का भी संदर्भ दिया गया था, जो अन्य स्रोतों से आय के बारे में बताती है। उक्त प्रावधान में कहा गया है कि हर प्रकार की आय जिसे अधिनियम के तहत कुल आय से बाहर नहीं किया जाना है, "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के तहत आयकर के लिए प्रभार्य है, यदि यह 1001 की मद (ए) से (ई) के तहत निर्दिष्ट किसी भी शीर्ष के तहत आयकर के लिए प्रभार्य नहीं है।

सेकुंड क्लब ई. टी. सी. बनाम. C.I.T.-V ETC। [बी. वी. नागरत्न, जे.] 1002

धारा 14. अन्य स्रोतों से ऐसी आय राजस्व रसीद की प्रकृति में होती है। जहाँ तक सामाजिक क्लबों और पारस्परिक संघों का संबंध है, रसीद का चरित्र और प्रकृति मायने नहीं रखती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी क्लब द्वारा अर्जित आय का उपयोग किया जाए, जो केवल उसके सदस्यों के लाभ के लिए है। इसलिए, क्लबों द्वारा की गई जमा राशि पर अर्जित ब्याज आय का एक स्रोत होने के कारण, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह पूंजी है या राजस्व रसीद।

6.10 इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया कि हालांकि अधिनियम के तहत पारस्परिकता के सिद्धांत की अवहेलना नहीं की गई है, लेकिन न्यायिक मिसाल यह रही है कि जमा राशि पर अर्जित ब्याज से होने वाली आय कर योग्य नहीं है। लेकिन बेंगलोर क्लब में इस न्यायालय के फैसले में आय की अवहेलना, क्लब के सदस्यों के लाभ के लिए ऐसी आय के उपयोग के तथ्यों

और पारस्परिकता के सिद्धांत की बारीकियों को ध्यान में नहीं रखा गया है। अतः उक्त निर्णय सही नहीं है और पिछले निर्णय के विपरीत है।

कानपुर क्लब में इस न्यायालय का।

6.11 इसके बाद यह तर्क दिया गया कि हालांकि कानपुर क्लब में निर्णय को एक "आदेश" कहा जाता है, फिर भी यह उच्च न्यायालय के फैसले की पुनरावृत्ति है, और इसलिए, उक्त "आदेश" बाद के मामलों के लिए एक मिसाल होगी। लेकिन बेंगलूर क्लब में, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने कानपुर क्लब में पारित आदेश पर विचार नहीं किया है और इसलिए, अब दो निर्णय हैं जो क्लबों द्वारा अर्जित ब्याज आय पर पारस्परिकता के सिद्धांत को लागू करने के सवाल पर बिल्कुल विपरीत हैं। इस संबंध में, हमारा ध्यान एक निर्णय की ओर भी खींचा गया था

जुबली हिल्स इंटरनेशनल सेंटर बनाम आयकर कार्यालय में तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 2023 में एस. सी. सी. ऑनलाइन टी. एस. 41 में रिपोर्ट की, जिसमें यह कहा गया था

कि न्यायाधिकरण को यह विचार रखने में न्यायसंगत नहीं ठहराया गया था कि पारस्परिकता का सिद्धांत गैर-स्थायी या गैर-आजीवन सदस्यों के संबंध में अपीलार्थी द्वारा किए गए लेनदेन के संदर्भ में लागू नहीं होगा। इसलिए विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी तर्क दिया कि बेंगलूर क्लब में इस न्यायालय के फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

6.12 सिकंदराबाद क्लब के मामले में तथ्यों के संदर्भ में विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अंधारुजिन ने प्रस्तुत किया कि यह व्यक्तियों का एक संघ है जो एक पारस्परिक संघ है और क्लब एक सामाजिक या मनोरंजक क्लब है जो केवल अपने सदस्यों के लाभ के लिए मौजूद है। क्लब का मुख्य उद्देश्य खेल और मनोरंजन सहित सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

इसके सदस्य और विभिन्न सेवाओं का लाभ इसके सदस्य उठा सकते हैं। कि क्लब द्वारा उत्पन्न अधिशेष आय में सदस्यों द्वारा क्लब के उपयोग के लिए किए गए भुगतान शामिल हैं। क्लब की अधिशेष आय बैंकों में वित्तीय सहायता जमा, डाकघर, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र आदि के माध्यम से जमा की जाती है, जो एकमात्र ऐसे तरीके हैं जिनमें अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अधिशेष आय जमा की जा सकती है। इसलिए, उक्त जमा क्लब की गतिविधियों के माध्यम से सदस्यों से क्लब द्वारा उत्पन्न अधिशेष आय होने के कारण, उक्त जमा पर अर्जित ब्याज को भी पारस्परिकता के सिद्धांत पर आयकर के भुगतान से छूट दी गई है। यह प्रस्तुत किया गया था कि चाहे बैंक क्लब के निगमित सदस्य हों या नहीं, क्लब द्वारा बैंकों में जमा किए गए धन के स्रोत, डाकघरों आदि और अर्जित ब्याज के लाभार्थियों के बीच पूरी पहचान है, क्योंकि उक्त जमा पर अर्जित ब्याज का उपयोग क्लब के सदस्यों के लाभ के लिए किया जा रहा है। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि क्लब के सदस्य, एक वर्ग के रूप में, अधिशेष आय अर्जित करने में योगदान करते

हैं और यदि इसे किसी बैंक में जमा किया जाता है, जो एक कॉर्पोरेट सदस्य है और ब्याज अर्जित किया जाता है जो अंततः सदस्यों के लाभ के लिए उपयोग किया जाता है, तो उक्त लेनदेन पारस्परिकता के सिद्धांत को आकर्षित करेगा।

6.13 इस संबंध में, यह बताया गया कि यह तर्क देना सही नहीं है कि जब सिकंदराबाद क्लब जैसे क्लबों द्वारा बैंकों में जमा किए जाते हैं और इस तरह के धन का उपयोग बैंकों द्वारा अपने ऋण और अन्य व्यवसाय के लिए किया जाता है, तो पारस्परिकता के सिद्धांत के अनुप्रयोग में दरार या विचलन होगा। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि जब क्लबों की अधिशेष आय जमा राशि में जमा की जाती है और उक्त जमा राशि पर अर्जित ब्याज का अंत में क्लबों की किटी में हिसाब किया जाता है जिसका उपयोग क्लबों के सदस्यों के लाभ के लिए किया जाता है, तो क्लबों द्वारा किसी भी सदस्य या गैर-सदस्यों को धन का उपयोग नहीं किया जाता है। जिस तरह कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति जो अधिशेष आय को अधिशेष जमा में तब तक निवेश करेगा जब तक कि उपयोग के लिए उक्त राशि की आवश्यकता न हो, उसी तरह क्लब, अधिशेष आय को निष्क्रिय रखने के बजाय, उसे अधिशेष जमा में जमा कर रहे हैं और जब उक्त जमा पर ब्याज उत्पन्न होता है, तो यह अंततः क्लब के सदस्यों के लाभ के लिए उपयोग और व्यय के लिए देय होगा। इसलिए, एक पूर्ण पहचान है जो पारस्परिकता के सिद्धांत को लागू करने के लिए आवश्यक है और बेंगलोर क्लब के मामले में फैसले के संदर्भ में कलकत्ता क्लब के मामले में भी यही समझाया गया है। कि कलकत्ता क्लब में तीन-न्यायाधीशों की पीठ के पास स्पष्ट रूप से **1003** है

सेकुंड क्लब ई. टी. सी. बनाम. C.I.T.-V ETC। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] **1004**

यह मत व्यक्त किया गया कि पारस्परिकता का सिद्धांत भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 (29-ए) में 46 वें संशोधन के बाद भी निगमित या अनिगमित क्लबों पर लागू होता है और इसलिए, तीन-न्यायाधीशों की पीठ के उक्त तर्क से, बेंगलोर क्लब में निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी। **6.14** श्री कपूर, विद्वान वरिष्ठ वकील ने केवल सदस्य बैंकों में क्लबों द्वारा की गई जमा राशि से अर्जित आय के संबंध में प्रकाश डाला कि बेंगलोर क्लब में, यह न्यायालय दो प्रकार के लेन-देनों के बीच अंतर करने में विफल रहा था, अर्थात्, एक क्लब और बैंकों के बीच और दूसरा, बैंकों और उसके उधारकर्ताओं के बीच जो पूरी तरह से अलग हैं और इसलिए, बेंगलोर क्लब में इस न्यायालय के फैसले में तर्क पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी। हमारा ध्यान भी इस ओर खींचा गया कि

सी. आई. टी. बनाम वेंकटेश परिसर सहकारी समिति में इस न्यायालय का निर्णय। सोसायटी लिमिटेड,

(2018) 15 एस. सी. सी. 37, विशेष रूप से, पैराग्राफ **19**।

उत्तरदाताओं की प्रस्तुतियाँ:

6.15 प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल-राजस्व ने शुरुआत में प्रस्तुत किया कि इन अपीलों में आरोपित निर्णयों में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि वे लेन-देन की प्रकृति के सही विश्लेषण पर आगे बढ़े हैं जब क्लब अपनी अधिशेष आय को बैंकों, डाकघरों या अन्य समान जमाओं में निवेश करते हैं ताकि उस पर ब्याज अर्जित किया जा सके। यह तर्क दिया गया कि बेंगलूर क्लब में इस न्यायालय के फैसले में इन मामलों में शामिल तथ्यों और मुद्दों को पूरी तरह से शामिल किया गया है और उक्त फैसले में पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में, शुरुआत में यह प्रस्तुत किया गया था कि कलकत्ता क्लब के मामले में तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में वर्तमान मामले में शामिल मुद्दों को शामिल नहीं किया गया है और इसलिए, इसे अलग किया जाना चाहिए। 6.16 बेंगलूर क्लब में इस न्यायालय के तथ्यों और तर्क पर विचार करते हुए, विद्वान ए. एस. जी. द्वारा यह तर्क दिया गया था कि अधिशेष निधि के सृजन के संबंध में, पारस्परिकता का सिद्धांत लागू होगा, लेकिन जैसे ही धन का निवेश बैंकों में (चाहे क्लब के कॉर्पोरेट सदस्य हों या नहीं), डाकघरों में या राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों आदि के माध्यम से किया जाता है, तो यह धन वाणिज्यिक बैंकिंग संचालन या डाकघरों के संचालन के संपर्क में आने के परिणामस्वरूप पर्याप्त है, जो उक्त क्लबों द्वारा जमा किए गए धन का उपयोग अपने ग्राहकों को ऋण देने के लिए करते हैं और इस प्रकार, इसे तीसरे पक्ष के ग्राहकों को उच्च दर पर उधार देकर और कम भुगतान करके उच्च आय उत्पन्न करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

क्लबों द्वारा जमा की गई राशि पर ब्याज की दर। यह कि क्लबों की निधियों का उपयोग करने की बैंकों की यह गतिविधि, जो पारस्परिकता के दायरे से बाहर तीसरे पक्ष के साथ अपनी बैंकिंग गतिविधियों के लिए जमा राशि के रूप में है, विशुद्ध रूप से एक वाणिज्यिक संचालन है। इसलिए, पारस्परिकता के सिद्धांत में दरार आ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप पारस्परिकता के सिद्धांत की शर्तों में से एक का उल्लंघन होता है, अर्थात्, योगदानकर्ताओं और प्रतिभागियों के बीच पहचान। यह कि अधिशेष निधियों का उपयोग क्लबों द्वारा क्लब के सदस्यों के लिए किसी भी विशिष्ट सेवा, रखरखाव या किसी अन्य प्रत्यक्ष लाभ के लिए सीधे नहीं किया जाता है, बल्कि बैंकों में प्रत्यक्ष जमा के रूप में जमा किया जाता है जो उक्त बैंकों के संचालन के लिए तीसरे पक्ष, अर्थात् बैंकों के ग्राहकों के निपटान में होता है। इसलिए, बैंकों के ग्राहक और क्लबों के सदस्य होने के नाते किसी तीसरे पक्ष की कोई पहचान नहीं है। अतः पारस्परिकता का सिद्धांत लागू नहीं होगा। विद्वान ए. एस. जी. के अनुसार, यह इस बात की परवाह किए बिना है कि क्या वित्तीय जमा उन बैंकों में किए जाते हैं जो क्लबों के कॉर्पोरेट सदस्य हैं या किसी अन्य बैंक या डाकघरों में किए जाते हैं। यह कि क्लबों द्वारा की गई जमा राशि पर उपार्जित ब्याज प्रकृति में किसी भी अन्य बैंक की जमा राशि के समान है जो बैंकिंग संचालन के दौरान बैंक के किसी भी अन्य ग्राहक द्वारा ब्याज अर्जित करता है और इसलिए, इसमें व्यावसायिकता का दाग है जो पारस्परिकता के सिद्धांत के लिए घातक है।

6.17 इसके बाद यह तर्क दिया गया कि पारस्परिकता के सिद्धांत को लागू करने के लिए, क्लब की गतिविधियों में कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, विशेष रूप से क्लब के सदस्यों के लाभ के लिए। इसलिए, पारस्परिकता के सिद्धांत पर क्लबों द्वारा अर्जित ऐसी आय पर कर का भुगतान करने के दायित्व से बचा नहीं जा सकता है। विद्वान ए. एस. जी. द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि बैंकों के ग्राहक के रूप में बैंक के साथ क्लब के बीच संबंध एक व्यावसायिक संबंध है जैसे बैंक के किसी अन्य ग्राहक का बैंक के साथ संबंध होगा और इसलिए, पारस्परिकता के संरक्षण का आह्वान नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में, बेंगलूर क्लब के मामले में इस न्यायालय के फैसले के विभिन्न पैराग्राफ की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था ताकि यह तर्क दिया जा सके कि इसमें तर्क न्यायसंगत और उचित है, जिसके लिए एक बड़ी पीठ को संदर्भित करके पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं होगी।

6.18 विद्वान ए. एस. जी. ने इस तथ्य की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के साथ-साथ मद्रास उच्च न्यायालय ने केनरा बैंक में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले से सहमति नहीं जताई थी और उन्होंने 1005 का अवलोकन किया था।

सेकुंड क्लब ई. टी. सी. बनाम. C.I.T.-V ETC। [बी. वी. नागरत्न, जे.] 1006

कि उक्त निर्णय केवल उस मामले के तथ्यों तक ही सीमित हो सकता है और विशेष रूप से बेंगलूर क्लब में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए एक मिसाल के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। यह तर्क दिया गया कि बेंगलूर क्लब के फैसले ने केनरा बैंक में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था।

विद्वान ए. एस. जी. ने प्रस्तुत किया कि इन अपीलों में योग्यता की कमी है और इसलिए इन्हें खारिज किया जा सकता है।

तर्कों का जवाब:

6.19 जवाब के माध्यम से, विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री दातार ने अपनी प्रस्तुतियों को संक्षेप में दोहराते हुए हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि केनरा बैंक में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई थी और इसलिए, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उक्त फैसले को स्वीकार करते हुए, जो कानपुर क्लब में इस न्यायालय के फैसले के अनुरूप है, बेंगलूर क्लब में बाद के फैसले में पूरी तरह से विपरीत दृष्टिकोण लेते हुए, जैसा कि इस न्यायालय ने पहले कहा था, पुनर्विचार की आवश्यकता है। इसलिए, केनरा बैंक पर बॉम्बे उच्च न्यायालय के साथ-साथ मद्रास उच्च न्यायालय की टिप्पणियां बाध्यकारी नहीं हैं और आज्ञाकारी प्रकृति की हैं।

6.20 यह प्रस्तुत किया गया था कि जब तक बेंगलूर क्लब में इस न्यायालय का निर्णय नहीं दिया जाता है, तब तक सभी सामाजिक क्लब बैंकों, डाकघरों आदि में जमा राशि पर अर्जित ब्याज आय पर आयकर के भुगतान से छूट का दावा कर सकते हैं, हालांकि, 2013 से, ब्याज

आय कर के अधीन है जो 30 प्रतिशत या उससे अधिक हो सकती है जो क्लबों के खजाने को बहुत प्रभावित करेगी और क्लब के हाथों अधिशेष आय को कम करेगी जो सामाजिक क्लबों के अस्तित्व के लिए प्रतिकूल होगी जो अंततः गैर-लाभकारी संस्थाएं हैं। इसलिए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दातार ने आग्रह किया कि बेंगलोर क्लब में निर्णय पर पुनर्विचार के लिए एक बड़ी पीठ का संदर्भ दिया जा सकता है, ताकि निर्धारिती क्लबों को लाभ हो सके।

6.21 यह भी दोहराया गया कि कानपुर क्लब में आदेश कानून की घोषणा है और बेंगलोर क्लब में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा इस पर विचार किया जाना चाहिए था। यह कि कानपुर क्लब में निर्णय बांकीपुर क्लब में निर्णय का एक पतन है और यह बाध्यकारी प्रकृति का है। कुन्हयमद के मामले में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए, श्री दातार ने प्रस्तुत किया कि

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

कानपुर क्लब विलय के सिद्धांत को आकर्षित करता है और उक्त निर्णय भी बाध्यकारी होगा।

6.22 यह दोहराया गया कि लाभ के उद्देश्य के पहलू को क्लबों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि क्लबों की अधिशेष निधि को बैंक में जमा करने के पीछे एकमात्र उद्देश्य विवेकपूर्ण है और जमा की गई मूल राशि के साथ उस पर अर्जित ब्याज का उपयोग केवल क्लब के सदस्यों के लाभ के लिए किया जाएगा। इसलिए, उन्होंने आग्रह किया कि शुरुआत में, यह पीठ इस बात पर विचार कर सकती है कि क्या बेंगलोर क्लब के फैसले में उनकी दलीलों को समाप्त करते हुए पुनर्विचार की आवश्यकता होगी।

विचार के लिए बिंदु:

7. संबंधित पक्षों के विद्वान वरिष्ठ वकील और वकील को सुनने के बाद, हम समझते हैं कि निम्नलिखित बिंदु हमारे विचार के लिए उत्पन्न होंगे: क) क्या बेंगलोर क्लब में इस न्यायालय के फैसले में इस न्यायालय के "आदेश" के आलोक में पुनर्विचार की आवश्यकता होगी।

कानपुर क्लब?

ख) क्या इसमें अपीलकर्ताओं जैसे क्लबों द्वारा अर्जित आय पर ब्याज पारस्परिकता के सिद्धांत के तहत शामिल होगा और इसलिए कर के भुगतान से मुक्त होगा?

(ग) कौन-सा आदेश?

पारस्परिकता का सिद्धांत:

8. शुरुआत में आयकर कानून के संदर्भ में पारस्परिकता के सिद्धांत को समझना और उस पर चर्चा करना उपयोगी होगा।

8.1 पारस्परिकता का सिद्धांत सामान्य ज्ञान में निहित है। एक व्यक्ति अपने आप से लाभ नहीं कमा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति उस संगठन से लाभ अर्जित नहीं कर सकता है जिसके साथ वह एक सामान्य पहचान साझा करता है। इस सिद्धांत का सार योगदानकर्ताओं और प्रतिभागियों की समानता में निहित है जो लाभार्थी भी हैं। योगदानकर्ताओं और प्रतिभागियों के बीच एक पूर्ण पहचान होनी चाहिए। इसलिए, यह इस प्रकार है कि सामान्य निधि में कोई भी अधिशेष आय का गठन नहीं करेगा, बल्कि केवल सामान्य निधि में वृद्धि होगी जो अचानक आने वाली स्थितियों को पूरा करने के लिए होगी।

8.2 पारस्परिक लाभ टी 1007 द्वारा किए गए अधिशेष की करयोग्यता के लिए पारस्परिकता के सिद्धांत के अनुप्रयोग पर ऐतिहासिक हाउस ऑफ लॉर्ड्स की मिसाल

सेकुंड क्लब ई. टी. सी. बनाम C.I.T.-V ETC। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 1008

एसोसिएशन स्टाइल्स का मामला है। न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के सदस्यों में इसके पॉलिसीधारक शामिल थे। कंपनी ने अपनी सदस्यता में अनुमानित मृत्यु दर के आधार पर बीमा प्रीमियम की गणना की। बीमा दावों के लिए किए गए खर्च में कटौती के बाद एकत्र किए गए प्रीमियम के अधिशेष को सदस्यों को उनके खाते में क्रेडिट के रूप में वापस कर दिया गया था। सवाल यह था कि क्या सदस्यों को लौटाया गया अधिशेष-भाग लेने वाली नीतियों के धारकों से और उनके द्वारा अर्जित किया जा रहा है-आयकर के लिए लाभ या लाभ के रूप में मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी था। बीमा कंपनी

अपने मामले को लास्ट बनाम लंदन एस्योरेंस कॉर्पोरेशन, 10 ऐप से अलग करने की मांग की।
कैस। 438 ("लंदन आश्वासन निगम"), जिसमें अधिशेष

बीमा कंपनी के सदस्यों को जमा किए गए प्रीमियम को कर के लिए अनुपयुक्त माना जाता था। कंपनी ने तर्क दिया कि उसकी प्रीमियम आय लाभप्रद नहीं थी, और इसलिए आयकर के लिए उत्तरदायी नहीं थी। क्वींस बेंच डिवीजन की राय थी कि मामले को लंदन एस्योरेंस कॉर्पोरेशन से अलग नहीं किया जा सकता है, यह अभिनिर्धारित किया कि भाग लेने वाली नीतियों के तहत प्राप्त कंपनी की प्रीमियम आय का आकलन आयकर के लिए उत्तरदायी था और आयुक्तों के निर्धारण को उलट दिया। यह निर्णय अपील न्यायालय द्वारा दिया गया था।

8.3 इन फैसलों के खिलाफ कंपनी ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के समक्ष अपील की। हाउस ऑफ लॉर्ड्स को 4 के अनुपात में विभाजित किया गया था: 2 इस मामले में, बहुमत के साथ यह अभिनिर्धारित किया गया कि भाग लेने वाली नीतियों के तहत प्राप्त प्रीमियम आय का कोई भी हिस्सा आयकर के लिए मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी नहीं था

लाभ या लाभ। कि लंदन एस्योरेंस कॉर्पोरेशन विशिष्ट था,

उस मामले में आय उन व्यक्तियों के साथ लेनदेन से प्राप्त की जा रही है जो सदस्य नहीं थे और न कि केवल सदस्यों के बीच पारस्परिक बीमा से। **8.4** बहुमत ने निष्कर्ष निकाला कि आय कर

योग्य होने के लिए, इसका स्रोत निर्धारिती के लिए बाहरी होना चाहिए। यह तथ्य कि कोष एक कानूनी इकाई है (कुछ उद्देश्यों के लिए) कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि लॉर्ड वॉटसन की भाषा में, यह अपने सदस्यों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है और सदस्य इसके प्रोफिट्स के प्रतिभागी हैं।" लॉर्ड हैल्सबरी और लॉर्ड फिट्जगेराल्ड ने असहमति जताई। लॉर्ड हैल्सबरी ने तर्क दिया कि व्यवसाय की प्रकृति पक्षों के बीच संबंधों की तुलना में अधिक प्रासंगिक होगी। लॉर्ड फिट्जगेराल्ड ने अपनी असहमत राय में निष्कर्ष निकाला कि बीमा कंपनी द्वारा अर्जित प्रीमियम, जिसे निगम द्वारा निवेश के उद्देश्य से न्यूयॉर्क में अपने मुख्यालय में स्थानांतरित किया गया था, कंपनी के लाभ का हिस्सा था, और

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

यहाँ आयकर के लिए उत्तरदायी हो गया।' उन्होंने स्वतंत्र रूप से विवाद का फैसला किया, लंदन आश्वासन निगम पर कोई निर्भरता रखे बिना, जो निर्धारिती द्वारा प्रतिष्ठित किए जाने की मांग की गई थी। दोनों मामलों के तथ्यों के बीच अंतर को स्वीकार करते हुए, इस हद तक कि पॉलिसीधारक न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के सदस्य थे, लेकिन बाहरी लोग थे

लंदन एश्योरेंस कॉरपोरेशन के संबंध में, यह निष्कर्ष निकाला गया कि 'अंतर कोई वास्तविक अंतर नहीं बनाता है।'

भारत में पारस्परिकता के सिद्धांत का विकास:

8.5 कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी पारस्परिकता पर सामान्य कानून के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। रॉयल कलकत्ता टर्फ में

क्लब बनाम राज्य सचिव, **(1921)** आईएलआर **48** कैल **844**: एयर **(1921)** कैल

633 : **(1921)** 1 आई. टी. सी. **108**, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक गैर-निगमित क्लब के मामले पर विचार किया जो अतिरिक्त लाभ शुल्क अधिनियम **(1919 का 10)** के अर्थ के भीतर व्यवसाय करता था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि जनता से लिए जाने वाले प्रवेश शुल्क और पुस्तक निर्माताओं द्वारा जमा किए गए लाइसेंस शुल्क के माध्यम से उत्पन्न आय, आयकर के लिए आकलन योग्य होगी।

8.6 से उभरी एक अपील में प्रिवी काउंसिल का निर्णय

मद्रास उच्च न्यायालय, अंग्रेजी और स्कॉटिश संयुक्त सहकारी थोक सोसायटी, लिमिटेड बनाम। कृषि आयकर आयुक्त, **1948** एससीसी

ऑनलाइन पी. सी. **41** ने पारस्परिकता के सिद्धांत को लागू करने के लिए ट्रिपल परीक्षण को स्पष्टीकृत किया:

- (1) सामान्य निधि के साथ योगदानकर्ताओं और प्राप्तकर्ताओं की पहचान;
- (2) अपने सदस्यों के अधिदेश का पालन करने वाले साधन के रूप में संघ या कंपनी की स्थिति; और
- (3) निधि के योगदानकर्ताओं के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान से लाभ प्राप्त करने की संभावना का अभाव।

8.7 सेवाओं के मूल्य निर्धारण और उसके पीछे के लाभ के उद्देश्य पर काफी जोर दिया गया था। यह ध्यान दिया गया कि अंग्रेजी और स्कॉटिश संयुक्त सहकारी थोक सोसायटी, लिमिटेड अपने नियमों से केवल अपने सदस्यों को अपनी चाय बेचने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस संबंध में प्रासंगिक टिप्पणियों को निम्नानुसार निकाला गया है:

1009

सेकुंड क्लब ई. टी. सी. बनाम. C.I.T.-V ETC। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 1010

“कोई फर्क नहीं पड़ता कि खरीदार कौन हो सकते हैं, यदि सोसाइटी अपने द्वारा उगाई और निर्मित चाय को उस कीमत पर बेचती है जो इसके उत्पादन की लागत से अधिक है और इसे बिक्री के लिए निर्धारित करती है, तो इसने लाभ अर्जित किया है जो कर अधिनियम के प्रावधानों के अधीन कर योग्य लाभ हैं।” गहरी जड़ों वाली सामान्य कानून परंपरा को देखते हुए, भारतीय न्यायशास्त्र का पारस्परिकता के सिद्धांत के साथ एक समृद्ध जुड़ाव रहा है, विशेष रूप से कराधान के संदर्भ में।

8.8 सी. आई. टी. बनाम रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लिमिटेड, ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 85 में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने इस विषय पर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब ने एक ही व्यवसाय के दौरान प्रदान की गई समान सेवाओं के बदले में सदस्यों और गैर-सदस्यों दोनों से धन प्राप्त किया। उच्चतम न्यायालय ने, जैसा कि नीचे निकाला गया है, अभिनिर्धारित किया कि पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित छूट नहीं दी जा सकती है: “23. जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, तत्काल मामले में सदस्यों के बीच कोई पारस्परिक लेनदेन नहीं होता है और योगदानकर्ताओं द्वारा अपने पारस्परिक लाभ के लिए एक-दूसरे के प्रति किए गए सामान्य दायित्वों के निर्वहन के लिए कोई सामान्य निधि नहीं रखी जाती है। इसके विपरीत, हमारे पास यहाँ एक निगमित कंपनी है जो एक रेस कोर्स कंपनी और लाइसेंस प्राप्त विजेताओं और जलपान प्रदाताओं के सामान्य व्यवसाय को करने और वास्तव में इस तरह के व्यवसाय को करने के लिए अधिकृत है। कोई विवाद नहीं है।

कि गैर-सदस्यों के साथ कंपनी के लेन-देन किसी भी अन्य वाणिज्यिक संस्था की तरह लाभ अर्जित करने की दृष्टि से किए गए व्यवसाय के सामान्य क्रम में होते हैं।"

इस अदालत ने आगे तर्क दिया कि स्टाइल्स मामले के सिद्धांतों का उसके समक्ष मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं था। इस न्यायालय ने कहा कि सदस्यों के बीच पारस्परिक बीमा की प्रकृति में कोई पारस्परिक लेनदेन नहीं है, प्रत्येक योगदानकर्ता द्वारा अन्य योगदानकर्ताओं को दी गई देनदारियों के भुगतान के लिए एक सामान्य निधि में कोई योगदान नहीं है और योगदानकर्ताओं को अधिशेष की कोई वापसी नहीं है।

8.9 इस स्तर पर, पारस्परिकता के पहलू पर कुछ अंग्रेजी और अमेरिकी मामलों पर विचार करना उचित होगा।

8.9.1 वाल्टर फ्लेचर ने अपनी ओर से और ट्रस्टी और कमेटी ऑफ डॉक्टर्स केव बाथिंग क्लब बनाम आयकर आयुक्त ("वाल्टर फ्लेचर") की ओर से (1971) यू. के. पी. सी. 30 में सूचना दी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

परिषद ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या मोंटेगो बे, जमैका में डॉक्टर गुफा स्नान क्लब (उसमें अपीलकर्ता) कुछ होटलों से प्राप्तियों में निहित लाभ तत्व पर आयकर के लिए आकलन योग्य था, जिनके मेहमानों को उक्त क्लब का उपयोग करने का अधिकार था। इसमें यह देखा गया कि "पारस्परिकता सिद्धांत" अभिव्यक्ति को सामान्य उद्देश्य के लिए योगदान करने वाले व्यक्तियों के समूहों या व्यय पर किसी भी अधिशेष की छूट के आधार को व्यक्त करने के लिए तैयार किया गया है। कि यह एक सुविधाजनक अभिव्यक्ति है, लेकिन इसमें जिन स्थितियों को शामिल किया गया है वे सभी मामलों में समान नहीं हैं। कुछ मामलों में, इस मामले का सार यह है कि विचाराधीन व्यक्तियों का समूह किसी भी अर्थ में व्यापार नहीं है, इसलिए व्यापार लाभ के संबंध में आयकर के निर्धारण के लिए प्रारंभिक बिंदु मौजूद नहीं है। अन्य मामलों में, कुछ अर्थों में एक व्यापारिक गतिविधि हो सकती है, लेकिन उद्देश्य या परिणाम, लाभ नहीं है, यह केवल व्यय को कवर करने और किसी भी अधिशेष को, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जल्द या बाद में, समूह के सदस्यों को वापस करने के लिए है। ये दो मानदंड अक्सर, शायद आम तौर पर, ओवरलैप होते हैं क्योंकि एक व्यापार के मानदंडों में से एक लाभ कमाने का इरादा है और एक अधिशेष को लाभ कहा जाता है यदि यह एक व्यापार से प्राप्त होता है। इसलिए, इस मुद्दे को दो के बजाय एक प्रश्न के रूप में बेहतर तरीके से तैयार किया जाता है: एक ओर व्यापार या व्यापार की प्रकृति में एक साहसिक गतिविधि है, जो लाभ का उत्पादन करती है, या दूसरी ओर, एक पारस्परिक व्यवस्था है जो अधिक से अधिक अधिशेष को जन्म देती है।

8.9.2 उक्त मामले के तथ्यों पर, यह देखा गया कि क्लब के सदस्य और होटल के अतिथि (होटल के सदस्यों) के बीच पर्याप्त असमानता थी। दूसरे शब्दों में, क्लब के सदस्य व्यापार कर रहे थे, होटल से लाभ कमा रहे थे जो अपने मेहमानों को क्लब सुविधाओं का उपयोग करने के लिए भेजते थे, उनकी सदस्यता के अनुरूप। इसलिए, होटल सदस्यों से उक्त क्लब द्वारा प्राप्त कोई भी अधिशेष आय लाभ की प्रकृति में थी और इसलिए लेन-देन की प्रकृति एक व्यापारिक लेनदेन होने के कारण, इस प्रकार उत्पन्न आय कर के लिए उत्तरदायी थी।

8.9.3 कार्लिस्ले एंड सिलोथ गोल्फ क्लब बनाम स्मिथ, (1912) 6 टी. सी. 48 के मामले का संदर्भ दिया गया था, जो सदस्यों के बीच अंतर को सामने लाता है, एक सुविधा प्राप्त करने के लिए आपसी आधार पर योगदान देता है, और बाहरी लोगों को भुगतान पर सुविधाओं में भाग लेने के लिए स्वीकार किया जाता है, जिनके साथ क्लब व्यापार कर रहा है। पारस्परिकता का संबंध किस बिंदु पर समाप्त होता है और व्यापार किस बिंदु पर शुरू होता है? यह महत्वपूर्ण और जटिल पंथ का सवाल है और तथ्यों की प्रासंगिकता गतिविधि की प्रकृति का पता लगाने के लिए है। यह देखा गया कि यह 1011 है।

सेकुंड क्लब ई. टी. सी. बनाम C.I.T.-V ETC। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 1012

यह पारस्परिकता की एक अनिवार्य शर्त नहीं है कि निधि में योगदान और उसमें अधिकार समान होने चाहिए; लेकिन यदि पारस्परिकता का कोई अर्थ होना है, तो एक सदस्य जो योगदान देता है और जो आनंद के अंतरिम लाभ के लिए उचित भत्ते के साथ होता है, उसके बीच एक उचित संबंध होना चाहिए, जिस पर विचार किया जाना चाहिए या इसके परिणामस्वरूप, वह निधि से प्राप्त करने की अपेक्षा कर सकता है या हकदार हो सकता है, यानी उसकी देनदारियों और उसके अधिकारों के बीच एक संबंध होना चाहिए।

8.9.4 रेक्सबी क्रेडिट यूनियन कोऑपरेटिव लिमिटेड बनाम संघीय कराधान आयुक्त, (1965) 112 सी. एल. आर. 564, ऑस्ट्रेलिया का उच्च न्यायालय

इस प्रश्न पर विचार किया गया कि क्या पारस्परिकता का सिद्धांत आय के चरित्र के लाभांश को वंचित करने के लिए लागू होता है। यह देखा गया कि पारस्परिकता का सिद्धांत उन मामलों में तय होता प्रतीत होता है जहां कई लोग एक सामान्य उद्देश्य के लिए उनके द्वारा बनाए गए और नियंत्रित कोष में योगदान करते हैं। ऐसे मामलों में, सामान्य उद्देश्य के लिए निधि के उपयोग के बाद योगदानकर्ताओं को भुगतान किया गया कोई भी अधिशेष आय नहीं है, बल्कि इसे केवल पुनर्भुगतान माना जाना चाहिए।

बोहेमियंस क्लब बनाम कार्यवाहक संघीय कराधान आयुक्त, (1918) 24 सी. एल. आर. 334 के माध्यम से योगदानकर्ता के अपने धन का कोष का समावेश

वीडियो स्टाइल्स प्रासंगिक नहीं है। जो आवश्यक है वह यह है कि निधि को सामान्य उद्देश्य के लिए बनाया गया होना चाहिए और पूरी तरह से योगदानकर्ताओं के स्वामित्व या नियंत्रण में होना चाहिए। यदि यह किसी और के स्वामित्व या नियंत्रण में है तो सिद्धांत

संयुक्त राज्य अमेरिका की इक्विटेबल लाइफ एस्योरेंस सोसाइटी के माध्यम से आवेदन नहीं कर सकते हैं

बनाम बिशप, (1900) 1 क्यूबी 177। इसके अलावा, योगदानकर्ताओं के भुगतान के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त निधि में किसी भी योगदान, जैसे कि निधि के हिस्से के निवेश से ब्याज, या सदस्यों द्वारा संचालित व्यावसायिक गतिविधि से आय, की गणना में ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।

कार्लिस्ले और सिलोथ गोल्फ क्लब बनाम स्मिथ (ऊपर) द्वारा अधिशेष। इसके अलावा,

मामले यह स्थापित करते हैं कि सिद्धांत तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक कि किसी भी समय निधि में योगदानकर्ता अतिरिक्त राशि के वितरण के लाभार्थी निकायों के समान न हों।

8.9.5 उक्त मामले के तथ्यों पर उपरोक्त आदेश को लागू करते समय, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पारस्परिकता का सिद्धांत आय के चरित्र के लाभांश को वंचित करने के लिए लागू नहीं हो सकता है। उसमें विचाराधीन लाभांश व्यय पर राजस्व का अधिशेष था। राजस्व का बड़ा हिस्सा दो स्रोतों से प्राप्त किया गया था, सदस्यों को ऋण पर ब्याज और संबद्ध ऋण समितियों में निवेश पर ब्याज। राजस्व में योगदानकर्ता वे सदस्य हैं जिनके पास वर्तमान ऋण थे और वे समितियाँ जिनमें धन था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

निवेश किया गया। हालांकि, लाभांश के भुगतान के सभी लाभार्थी सदस्य थे। यह देखा गया कि अर्जित राजस्व अपने कई सदस्यों के साथ समाज के व्यावसायिक लेन-देन के आधार पर था और इसे आय के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

8.9.6 इन रे: कराधान आयुक्त और: ऑस्ट्रेलियाई संगीत व्यापारी संघ, (1990) एफ. सी. ए. 261, मामला ऑस्ट्रेलियाई संगीत व्यापारी संघ से संबंधित था।

संगीत व्यापारी संघ, एक पारस्परिक संघ है। विवाद यह था कि क्या ऐसा पारस्परिक संघ या संगठन जो किसी गतिविधि से आय प्राप्त करता है, पारस्परिकता सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। उक्त मामले में, वाल्टर फ्लेचर (उपरोक्त) का संदर्भ दिया गया था और लॉर्ड विल्बरफोर्स द्वारा एक पारस्परिक संघ या एक क्लब द्वारा की गई गतिविधि की प्रकृति के संबंध में परीक्षण किया गया था, अर्थात्, क्या गतिविधि एक व्यापार है या व्यापार की प्रकृति में एक साहसिक कार्य है, जो एक लाभ का उत्पादन करती है, या यह एक पारस्परिक व्यवस्था है जो पूरी तरह से अधिशेष को

जन्म देती है। उक्त मामले में, विचाराधीन गतिविधि एक संगीत व्यापारियों के व्यापार मेले का आयोजन था। आय के विषय वर्ष से पहले के वर्षों में, एसोसिएशन ने स्वयं व्यापार मेलों का आयोजन किया था और संगीत व्यापारियों को स्टॉल दिए थे। यद्यपि एसोसिएशन द्वारा ऐसे स्टॉल धारकों से प्राप्त किराये की आय जो एसोसिएशन के सदस्य थे, को पारस्परिक रूप से स्वीकार किया गया था, फिर भी, जैसा कि व्यक्तिगत व्यापारियों ने जनता के सदस्यों को अपना माल प्रदर्शित किया और बेचा, यह संदेह था कि मेलों का पारस्परिक चरित्र था या नहीं। व्यापारी, जिनमें से कई संघ के सदस्य नहीं थे, अपने-अपने व्यवसाय चलाते थे। भुगतान किए गए किराये की गणना दुकान धारक द्वारा अपनी व्यावसायिक गतिविधि के उद्देश्यों के लिए कब्जा किए गए या पट्टे पर दिए गए स्थान के अनुसार की गई थी। आय के वर्ष में, एसोसिएशन ने मेले के आयोजन के लिए एक अलग संगठन, प्रदर्शनी और व्यापार मेला प्राइवेट लिमिटेड की व्यवस्था की थी। संघ को आयोजक से जो शुल्क प्राप्त हुआ था, वह उनके समझौते से निर्धारित किया गया था, हालांकि आयोजक द्वारा संघ के सदस्यों और गैर-सदस्यों को समान रूप से कुल स्थान उपखंड के लिए संदर्भित किया जा सकता है। यह देखा गया कि मेल के संबंध में एसोसिएशन के किसी भी सदस्य द्वारा एसोसिएशन को कोई योगदान नहीं दिए जाने के कारण पारस्परिकता का कोई सिलसिला नहीं रहा। यह कि मेले के आयोजक द्वारा एसोसिएशन को दी गई राशि एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा एक सामान्य निधि में देय शुल्क नहीं थी और मेला, हालांकि यह एसोसिएशन के सदस्यों को लाभान्वित करता था, एक पारस्परिक, गैर-लाभकारी गतिविधि नहीं थी। इसका सार व्यक्तिगत व्यापारियों द्वारा लाभ के लिए व्यापार करना था, हालांकि एक सामान्य गतिविधि के माध्यम से, मेला। अतः 1013

सेकुंड क्लब ई. टी. सी. बनाम C.I.T.-V ETC। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 1014

यह देखा गया कि मेले के आयोजक से एसोसिएशन की रसीदें ऐसी रसीदें नहीं थीं जिनका आपसी चरित्र था। प्राप्तियाँ कर के लिए आकलन योग्य आय थीं।

8.9.7 पारस्परिकता सिद्धांत के प्रारंभिक सूत्रीकरण पर चर्चा करते हुए, जो आम तौर पर बीमा से जुड़ा था, संदर्भ भी दिया गया था

जोन्स बनाम साउथ-वेस्ट लंकाशायर कोल ओनर्स एसोसिएशन लिमिटेड, (1927) एसी 827 (जोन्स) में स्टाइल्स (उपरोक्त) का अनुसरण किया गया। पाँच साल बाद, म्यूनिसिपल म्यूचुअल इंश्योरेंस लिमिटेड बनाम हिल्स, (1932) 16 टी. सी.

430, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने शैलियों और जोन्स को प्रतिष्ठित किया। बाद के मामले में तथ्य यह थे कि उसमें अपीलार्थी का गठन विभिन्न स्थानीय अधिकारियों द्वारा मुख्य रूप से इस उद्देश्य से किया गया था कि वे अनुकूल शर्तों पर उनके खिलाफ बीमा कराने में सक्षम हों। उक्त कंपनी का प्रभावी नियंत्रण वित्तीय पॉलिसी धारकों के पास था, जो अकेले कंपनी के समापन पर कंपनी की अधिशेष परिसंपत्तियों के हकदार थे। हालांकि, समय के साथ, कंपनी ने नियोक्ताओं की देयता और अन्य बीमाओं में भी एक व्यापक व्यवसाय किया, दोनों मौजूदा वित्तीय पॉलिसी धारकों और

अन्य लोगों के साथ। राजस्व ने स्वीकार किया कि वित्तीय बीमा व्यवसाय पारस्परिक बीमा का व्यवसाय है जो आयकर के दायित्व को आकर्षित नहीं करता है। अपीलकर्ता कंपनी ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि वह नियोक्ताओं के दायित्व और उन व्यक्तियों की ओर से किए गए अन्य बीमाओं से अपने लाभ पर कर के लिए उत्तरदायी है जो पॉलिसी धारक नहीं थे। हालाँकि, पक्षों के बीच एक मुद्दा था कि क्या अपीलकर्ता कंपनी ऐसे अन्य बीमाकर्ताओं के साथ ऐसे अन्य बीमाकर्ताओं पर अर्जित लाभ पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी। पहले उदाहरण में, न्यायमूर्ति रॉलेट ने महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार किया और विश्लेषण किया कि उक्त मामले में गैर-काल्पनिक व्यवसाय के संबंध में एक सदस्य से क्या बनाया जाता है और गैर-काल्पनिक व्यवसाय के संबंध में एक अजनबी से क्या बनाया जाता है, इसके बीच कोई अंतर नहीं था; सदस्य एक अजनबी है। वह, एक विविध पॉलिसी धारक के रूप में, विविध पॉलिसी व्यवसाय में कोई हिस्सेदारी नहीं प्राप्त कर रहा है। विविध पॉलिसी व्यवसाय वित्तीय पॉलिसी धारकों के निकाय के लाभ के लिए किया जाता है। इसलिए, उन सदस्यों द्वारा कंपनी के बीमा व्यवसाय से अर्जित राजस्व, जो सभी पॉलिसी धारक थे, पारस्परिक बीमा का व्यवसाय था जो आयकर के लिए देयता को आकर्षित नहीं करता था, लेकिन विविध पॉलिसी व्यवसाय से अर्जित राजस्व कर योग्य था। इस पद की तुलना एक रेलवे कंपनी के एक शेयरधारक से की गई थी जो ट्रेन से यात्रा करने के लिए टिकट खरीदता है; इस उद्देश्य के लिए, वह केवल एक बाहरी व्यक्ति है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

8.9.8 जे. रॉलेट के उपरोक्त विश्लेषण को अपील न्यायालय के साथ-साथ हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा भी प्रस्तुत किया गया था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने स्पष्ट किया कि जहां तक किसी वित्तीय नीति से उत्पन्न अधिशेष आय की बात है, वे वास्तव में उन लोगों के रूप में धन के हकदार हैं जिन्होंने इसमें योगदान दिया है और तदनुसार, यह स्वीकार किया गया है कि वित्तीय नीतियों पर किया गया कोई भी लाभ स्टाइल्स मामले (उपरोक्त) द्वारा नियंत्रित होता है। लेकिन जहां तक नियोक्ताओं के देयता व्यवसाय और विविध व्यवसाय का संबंध है, यह अधिशेष किसी निकाय में पॉलिसी धारकों के रूप में योगदानकर्ताओं के पास नहीं गया था, उन्होंने योगदान नहीं दिया था और इसलिए यह व्यवसाय पूर्ण रूप से बाहरी लोगों के साथ व्यवसाय के समान स्थिति में था, जिसमें अधिशेष को लाभ माना जाता है।

8.9.9 में एक अन्य ऑस्ट्रेलियाई निर्णय का भी संदर्भ दिया गया था

सोशल क्रेडिट सेविंग्स एंड लोन सोसाइटी लिमिटेड बनाम आयुक्त का मामला

कराधान, (1971) 125 सी. एल. आर. 560, जिसमें सामान्य निधि में योगदानकर्ताओं और इसमें प्रतिभागियों के बीच समानता की आवश्यकता पर जोर दिया गया था।

8.9.10 सिडनी जल बोर्ड के कर्मचारियों को भी संदर्भित किया गया था।

जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्ण उच्च न्यायालय का निर्णय है। उक्त मामले में तथ्य दिलचस्प हैं। करदाता एक ऋण संघ था जो अपने सदस्यों से धन उधार लेता था। इसने गैर-सदस्यों से जमा राशि पर छोटी राशि भी उधार ली थी। उधार लिए गए धन को सदस्यों को फिर से दिया जाता था, लेकिन उधार लेने वाले सदस्यों का वर्ग उधार देने वाले सदस्यों के वर्ग के समान नहीं था; कुछ उधार लेने वाले सदस्यों ने करदाता को धन उधार नहीं दिया, और कुछ उधार देने वाले सदस्यों ने ऋण नहीं लिया। करदाता को उसके द्वारा उधार दिए गए धन पर ब्याज मिलता था, और उसके खर्च पर अधिशेष प्राप्त होता था। मुद्दा यह था कि क्या क्रेडिट यूनियन द्वारा अपने सदस्यों से प्राप्त ब्याज ऑस्ट्रेलियाई आयकर अधिनियम के तहत कर योग्य था। न्यायालय ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि ब्याज कर योग्य है।

8.9.11 उक्त मामले में पारस्परिकता सिद्धांत के अनुप्रयोग पर विचार करते हुए, यह माना गया कि दो बाधाएं थीं: किसी निधि में योगदान करने वाले व्यक्तियों और उस निधि में प्रतिभागियों के बीच सटीक समानता की अब आवश्यकता नहीं थी। हालाँकि, योगदान और लाभ के बीच एक "उचित संबंध" होना चाहिए और ऐसा कोई संबंध मौजूद नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने 1984 की ऑस्ट्रेलियाई संगीत प्रदर्शनी में जगह नहीं ली थी। दूसरा, यह 1015 में देखा गया था।

सेकुंड क्लब ई. टी. सी. बनाम. C.I.T.-V ETC। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 1016

कि प्रदर्शनी के संबंध में संघ द्वारा प्राप्त धन व्यक्तिगत सदस्यों की ओर से रखे गए धन नहीं थे। पैसा एसोसिएशन के सामान्य कोष का हिस्सा बन गया, जिससे निपटा जाना था क्योंकि एसोसिएशन के सदस्य समय-समय पर एफ. आई. टी. देख सकते थे, लेकिन उन सदस्यों के लिए किसी भी दायित्व के बिना जिन्होंने 1984 की प्रदर्शनी में जगह ली थी। 1984 तक, एसोसिएशन स्वयंसेवी सदस्यों के श्रम का उपयोग करके मेले का आयोजन करता था, लेकिन 1985 में, मेले का आयोजन एक पेशेवर आयोजक यानी कंपनी (प्रदर्शनी और व्यापार मेले पीटीवाई लिमिटेड) के माध्यम से किया जाता था। अड़तालीस प्रदर्शक थे जिनमें से केवल उन तीस संघ के सदस्य थे। दावा शुरू में आयकर आयुक्त द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि रसीद को एसोसिएशन के व्यवसाय के दौरान प्राप्त एक सामान्य व्यापारिक रसीद के रूप में माना जाना चाहिए। यह माना गया कि पारस्परिकता का सिद्धांत लागू नहीं होता है। अंततः, ऑस्ट्रेलिया का उच्च न्यायालय 2 के बहुमत से: 1 अभिनिर्धारित किया कि आयुक्त सही था और उसने अपने निर्णय पर सहमति व्यक्त की और न्यायाधिकरण के निर्णय को रद्द कर दिया।

विश्लेषण:

9. इन अपीलों में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों पर विचार करते समय, हमें निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखना होगा:

क) क्या कानपुर क्लब में इस न्यायालय का आदेश एक बाध्यकारी पूर्ववर्ती है जिस पर इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा मामले का निर्णय लेते समय ध्यान दिया जाना चाहिए था और उस पर विचार किया जाना चाहिए था -

बैंगलोर क्लब?

ख) क्या केनरा बैंक में कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय को उक्त मामले के तथ्यों तक ही सीमित रखना होगा, हालांकि उक्त निर्णय के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी?

ग) क्या इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने सही निर्णय लिया है।

बैंगलोर क्लब का मामला?

10. विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री दातार ने इस पर भारी निर्भरता रखी

कुन्हयमद बनाम केरल राज्य, ए. आई. आर. (2000) में इस न्यायालय का निर्णय

एस. सी. 2587, यह तर्क देने के लिए कि एक बार अपील को प्राथमिकता दी गई है या अपील करने की अनुमति मांगने वाली याचिका को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील में परिवर्तित कर दिया गया है, यानी एक बार विशेष अनुमति याचिका में अनुमति दी गई है, सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय क्षेत्राधिकार को लागू किया जाता है और निर्णय या

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

अपील में पारित आदेश विलय के सिद्धांत को आकर्षित करेगा। यह क्रम व्युत्क्रम, परिवर्धन या केवल संबंध का हो सकता है। यह कि कानपुर क्लब के मामले में, इस न्यायालय का आदेश स्पष्ट रूप से विलय के सिद्धांत को आकर्षित करता है क्योंकि इस न्यायालय ने उन दीवानी अपीलों में विवादित इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को अपनी प्रमुखता देते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि पारस्परिकता का सिद्धांत कानपुर क्लब द्वारा बैंक में की गई जमा राशि पर अर्जित ब्याज के संदर्भ में लागू होगा। यदि ऐसा है, तो कानपुर क्लब के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून एक बाध्यकारी मिसाल होगी और बाद के मामले में उक्त फैसले की अनदेखी करते हुए, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने एक विरोधाभासी निर्णय पारित किया था, यानी बैंगलोर क्लब के मामले में। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि बैंगलोर क्लब में इस न्यायालय के फैसले का कोई पूर्ववर्ती मूल्य नहीं हो सकता है और यदि इस पीठ को उक्त स्थिति को स्वीकार करना है, तो कानपुर क्लब में इस न्यायालय द्वारा पारित पहले के आदेश को तत्काल मामले में लागू किया जाना चाहिए, या वैकल्पिक रूप से, मामले को फैसले की शुद्धता या अन्यथा पर विचार करने के लिए एक बड़ी पीठ को भेजा जा सकता है।

बैंगलोर क्लब में।

11. उक्त निवेदन पर विचार करते हुए, यह ध्यान दिया जाता है कि बांकीपुर क्लब में, जहां तक समूह ए और डी के मामलों का संबंध है, यह माना गया था कि पारस्परिकता का सिद्धांत लागू होता है और इसलिए, ऐसी गतिविधियों से अर्जित आय को कराधान से छूट दी गई थी। जैसा कि पहले ही बांकीपुर क्लब में ऊपर उल्लेख किया गया है, समूह "ई" मामले जिनमें निर्धारिती क्लबों ने वित्तीय जमा प्राप्तियों (एफ. डी. आर.) और राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों (एन. एस. सी. आदि) से प्राप्त ब्याज से आय अर्जित की थी, उन्हें योग्यता के आधार पर सुनवाई के लिए अलग से पोस्ट किया गया था। बांकीपुर क्लब में फैसले के पैराग्राफ 19 में, समूह "ई" के तहत आने वाले मामलों को अलग करने या अलग करने के कारणों को स्पष्ट रूप से बताया गया है, इसका कारण यह है कि उन अपीलों में सवाल केवल संपत्ति किराए पर देने से अर्जित आय के संबंध में था। इसके बाद कानपुर क्लब में एक अन्य समन्वय पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने

यह निर्णय लिया गया कि "निर्धारिती से उसके सदस्यों को दिए गए कमरों से अर्जित आय पर कर नहीं लगाया जा सकता है।" इनके खिलाफ कोई अपील नहीं की गई थी।

उस बिंदु पर राजस्व द्वारा उक्त निर्णय और इसलिए, जहां तक उसमें निर्धारिती, अर्थात् कानपुर क्लब का संबंध है, मामला समाप्त हो गया। यह कहने के बाद, यह आगे देखा गया कि अन्य प्रश्नों पर अपील के साथ आगे बढ़ने में कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा जब प्रतिवादी पर पारस्परिकता के सिद्धांत के आधार पर कर नहीं लगाया जा सकता है। यह 1017

सेकुंड क्लब ई. टी. सी. बनाम. C.I.T.-V ETC। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 1018

अदालत ने यह नहीं बताया कि कौन से "अन्य प्रश्न" थे जिनके संबंध में प्रतिवादी कानपुर क्लब पर पारस्परिकता के सिद्धांत के कारण कर नहीं लगाया जा सकता था। यह याद रखना चाहिए कि अपील कानपुर क्लब के खिलाफ राजस्व के नेतृत्व में की गई थी, न कि इसके विपरीत। "अन्य प्रश्नों" के बारे में कोई संकेत होने के अभाव में, जिसके संबंध में इस न्यायालय ने पाया कि राजस्व के नेतृत्व में अपील में कार्यवाही पारस्परिकता के सिद्धांत के कारण जारी नहीं रखी जा सकती है, इस तरह के अवलोकन का मतलब यह नहीं होगा कि उक्त मामले में पारित आदेश संविधान के अनुच्छेद 141 के दायरे और अर्थ के भीतर एक बाध्यकारी मिसाल है। यह याद रखना चाहिए कि कानपुर क्लब के मामले में अपील राजस्व के नेतृत्व में की गई थी और केवल इसलिए कि राजस्व ने मामले के अन्य पहलुओं के संबंध में अपनी अपील पर जोर नहीं दिया और इस न्यायालय ने पाया कि निर्धारिती द्वारा अर्जित आय अपने सदस्यों को दिए गए कमरों से पारस्परिकता के सिद्धांत पर कर के अधीन नहीं हो सकती है, इसका मतलब यह नहीं होगा कि अन्य प्रश्न जो उक्त अपील में राजस्व द्वारा नहीं उठाए गए थे, उनका उत्तर राजस्व के पक्ष में और राजस्व के खिलाफ दिया गया था। दूसरी ओर, इस क्रम में इस बात का कोई संकेत नहीं है कि कौन से "अन्य प्रश्न" थे जिनके संबंध में पारस्परिकता का सिद्धांत लागू होता है, हमारे विचार में, उक्त आदेश से कोई अनुपात निर्णय नहीं निकलता है जो बाद के मामलों के लिए एक बाध्यकारी

मिसाल होगी। कानपुर क्लब के मामले में बिना किसी तर्क के एक संक्षिप्त आदेश द्वारा राजस्व की अपीलों के निपटारे को देखते हुए और किसी भी अनुपात को अस्वीकार करते हुए, इसे एक बाध्यकारी मिसाल नहीं माना जा सकता है जिसे बेंगलोर क्लब का फैसला करते समय इस न्यायालय की एक अन्य समन्वय पीठ द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया है। हमारे विचार में, कानपुर क्लब में पारित आदेश केवल उन अपीलों में पक्षों को बाध्य करता है और बाद के मामलों के लिए एक मिसाल के रूप में नहीं समझा जा सकता है।

12. इस संबंध में, पटना गोल्फ क्लब बनाम सी. आई. टी., 2016 में पटना उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले का उल्लेख करना उपयोगी होगा।

एस. सी. सी. ऑनलाइन पटना 2067 (विविध। 2007 की अपील सं. 541) जिसके बाद बांकीपुर क्लब और कानपुर क्लब में बाद में पारित आदेश का उल्लेख करते हुए, यह देखा गया कि कानपुर क्लब में इस न्यायालय के आदेश को पढ़ने पर, इस आशय का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका कि पारस्परिकता का सिद्धांत बैंकों में जमा राशि पर अर्जित ब्याज आय पर लागू होगा। यह भी देखा गया कि आय पर अर्जित ब्याज गृह संपत्ति से प्राप्त आय का हिस्सा नहीं हो सकता है और इसके परिणामस्वरूप, यह अन्य आयों से प्राप्त आय है।

स्रोतों। स्पोर्ट्स क्लब ऑफ गुजरात लिमिटेड बनाम गुजरात लिमिटेड का भी संदर्भ दिया गया था। सीआईटी,

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

171 आई. टी. आर. 504 में कहा गया है कि जब आय बैंकों में जमा राशि में निवेश से प्राप्त होती है, तो यह किसी तीसरे पक्ष से प्राप्त होती है और क्लब के सदस्यों के योगदान के माध्यम से नहीं होती है और इसलिए, आय पर अर्जित ऐसा ब्याज कर योग्य है और पारस्परिकता का सिद्धांत लागू नहीं होगा।

अनुपात निर्णय:

13. यह कानून की एक स्थिर स्थिति है कि केवल एक निर्णय का अनुपात निर्णय एक मिसाल के रूप में बाध्यकारी है। बी. शमा राव बनाम केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी, ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1480 में यह देखा गया है कि कोई निर्णय उसके निष्कर्ष के कारण नहीं बल्कि उसके अनुपात और उसमें निर्धारित सिद्धांत के संबंध में बाध्यकारी है। इस संदर्भ में संदर्भ भी दिया जा सकता है।

क्विन बनाम लीथम, 1901 ए. सी. 495 (एच. एल.), जिसमें यह देखा गया था कि

प्रत्येक निर्णय को साबित किए गए विशेष तथ्यों पर लागू होने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, या साबित माना जाना चाहिए, क्योंकि जिन अभिव्यक्तियों की व्यापकता पाई जा सकती है, उनका उद्देश्य पूरे कानून की व्याख्या करना नहीं है, बल्कि उस मामले के विशेष तथ्यों द्वारा शासित और योग्य हैं जिसमें ऐसी अभिव्यक्तियां पाई जाती हैं। दूसरे शब्दों में, एक मामला केवल एक प्राधिकरण है जो वास्तव में निर्णय लेता है।

14. रिलायंस को ए. पी. के असहमत निर्णय पर भी रखा जा सकता है।

दलबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1979) 3 एस. सी. सी. 745 में सेन, जे.

लॉर्डशिप ने कहा कि किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर सजा के प्रश्न पर निर्णय को कभी भी एक बाध्यकारी मिसाल के रूप में नहीं माना जा सकता है, संविधान के अनुच्छेद 141 के अर्थ के भीतर "घोषित कानून" से बहुत कम ताकि सभी अदालतों को भारत के क्षेत्र के भीतर बाध्य किया जा सके। पूर्ववर्ती के सुव्यवस्थित सिद्धांत के अनुसार, प्रत्येक निर्णय में तीन बुनियादी तत्व होते हैं:

((i) प्रत्यक्ष और अनुमानित भौतिक तथ्य। तथ्य का एक अनुमानित निष्कर्ष वह निष्कर्ष है जो न्यायाधीश प्रत्यक्ष या बोधगम्य तथ्यों से निकालता है।

((ख) तथ्यों द्वारा प्रकट की गई कानूनी समस्याओं पर लागू होने वाले कानून के सिद्धांतों के विवरण; और

((iii) उपरोक्त (i) और (ii) के संयुक्त प्रभाव पर आधारित निर्णय। स्वयं पक्षों और उनकी निजता के प्रयोजनों के लिए, घटक (iii) निर्णय में भौतिक तत्व है, क्योंकि, यह उनके 1019 को निर्धारित करता है।

सेकुंड क्लब ई. टी. सी. बनाम C.I.T.-V ETC। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 1020

कार्रवाई के विषय के संबंध में अधिकार और देनदारियाँ। यह वह निर्णय है जो पक्षों को विवाद को फिर से खोलने से रोकता है। हालांकि, पूर्ववर्ती के सिद्धांत के उद्देश्य के लिए, घटक (ii) निर्णय में महत्वपूर्ण तत्व है। यह अनुपात तय करता है। यह सब कुछ नहीं है जो एक न्यायाधीश द्वारा निर्णय देते समय कहा जाता है जो एक मिसाल है। एक पक्ष को बाध्य करने वाले न्यायाधीश के निर्णय में एकमात्र चीज वह सिद्धांत है जिस पर मामले का निर्णय लिया जाता है और इस कारण से निर्णय का विश्लेषण करना और अलग-थलग करना महत्वपूर्ण है।

इससे अनुपात तय होता है।

15. क्वालकास्ट (वॉल्वरहैम्प्टन) लिमिटेड बनाम के प्रमुख मामले में। हेन्स,

1959 अधिनियम 743 में यह निर्धारित किया गया था कि अनुपात निर्णय को उन तथ्यों द्वारा उठाई गई कानूनी समस्याओं पर लागू कानून के बयान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है,

जिन पर निर्णय आधारित है। निर्णय में अन्य दो तत्व पूर्ववर्ती नहीं हैं। एक निर्णय बाध्यकारी नहीं है (सीधे तौर पर स्वयं पक्षकारों को छोड़कर), और न ही तथ्य के आधार हैं। इसका मतलब यह है कि जहां पहले के मामले के प्रत्यक्ष तथ्य अदालत के समक्ष मामले के समान प्रतीत होते हैं, न्यायाधीश वही निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य नहीं है जो पहले के मामले में निकाला गया था।

16. एक मामले में निर्णय का मार्गदर्शन करने वाले कानूनी सिद्धांत एक निर्णय होने के अलावा, बाद के मामले के लिए एक बाध्यकारी मिसाल का आधार हैं, जो मामले के पक्षों को बांधता है। इस प्रकार, निर्णय में अंतर्निहित सिद्धांत बाद के मामले के लिए एक मिसाल के रूप में बाध्यकारी होगा। इसलिए, किसी निर्णय को बाद के मामले में लागू करते समय, उससे निपटने वाले न्यायालय को पिछले निर्णय में निर्धारित सिद्धांत का सावधानीपूर्वक पता लगाना होता है। किसी मामले में निर्णय मामले के तथ्यों और इसमें शामिल और तय किए गए कानून के सवाल से लिया जाता है। हालांकि, एक निर्णय जो व्यक्त नहीं है और न तो किसी कारण पर आधारित है और न ही मुद्दे पर विचार करने पर आगे बढ़ता है, उसे घोषित कानून नहीं माना जा सकता है, ताकि एक बाध्यकारी प्रभाव हो।

अनुच्छेद 141 के तहत विचार किया गया, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (1991) 4 एस. सी. सी. 139। संविधान का अनुच्छेद 141

इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। इसलिए भारत की सभी अदालतें सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। यह सिद्धांत न्यायिक अनुशासन का एक पहलू है।

17. यदि कोई निर्णय निर्णय या निर्णय में बताए गए कारणों के आधार पर होता है, तो केवल अनुपात निर्णय बाध्यकारी होता है। का अनुपात या आधार

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

किसी निर्णय के अंतर्निहित कारण और सिद्धांत किसी दिए गए मामले में दी गई अंतिम राहत या निपटान के तरीके से अलग होते हैं। यह अनुपात निर्णय है जो एक पूर्ववर्ती बनाता है न कि निर्णय में अंतिम आदेश,

संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग,

इलाहाबाद; (2007) 3 एससीसी 720। इसलिए, केवल मामले के तथ्यों पर लागू निर्णय को एक बाध्यकारी मिसाल के रूप में नहीं माना जा सकता है।

18. बाध्यकारी पूर्ववर्ती का सिद्धांत न्यायिक निर्णयों में निश्चितता और निरंतरता को बढ़ावा देने में मदद करता है और दैनिक मामलों का हिस्सा बनने वाले लेनदेन के परिणामों के बारे में व्यक्तियों को आश्वासन देने के अलावा कानून के एक जैविक विकास को सक्षम बनाता है। इस

प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 141 के संदर्भ में जो बाध्यकारी है वह निर्णय का अनुपात है और जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, निर्णय का अनुपात निर्णय निष्कर्ष के समर्थन में सौंपा गया कारण है। किसी निर्णय के तर्क को केवल उस निर्णय को पूरी तरह से पढ़ने पर ही समझा जा सकता है और उसके बाद उसे निकाला जाना चाहिए। मामले के अनुपात का अनुमान मामले में शामिल तथ्यों और कानून के विशेष प्रावधानों से लगाया जाना चाहिए जिन्हें अदालत ने लागू किया है या व्याख्या की है और निर्णय को मामले में शामिल विशेष वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। इस प्रकार, केवल मामले को निपटाने के लिए किए गए आदेश का एक बाध्यकारी पूर्ववर्ती का मूल्य या प्रभाव नहीं हो सकता है। 19. इसलिए, जो बाध्यकारी है, वह एक निर्णय का अंतर्निहित सिद्धांत है जिसे उस मामले में शामिल प्रश्न (ओं) के संदर्भ में समझा जाना चाहिए जिससे निर्णय अपना रंग लेता है। बाद के मामले में, उस प्रस्ताव के समर्थन में किसी निर्णय पर भरोसा नहीं किया जा सकता है जो उसने तय नहीं किया था। इसलिए, संदर्भ या प्रश्न, जिस पर विचार करते हुए, एक निर्णय दिया गया है, महत्वपूर्ण मानता है।

20. एक फैसले के अनुपात निर्णय के विपरीत, एक आज्ञाकारी उक्ति एक कानूनी प्रश्न पर अदालत द्वारा एक अवलोकन है जो अदालत द्वारा सुनाए गए निर्णय के लिए आवश्यक नहीं हो सकता है। हालाँकि, उच्चतम न्यायालय का आज्ञाकारी उक्ति अनुच्छेद 141 के तहत किसी मामले में न्यायालय द्वारा उठाए गए और तय किए गए बिंदुओं पर टिप्पणियों की सीमा तक बाध्यकारी है। यद्यपि उच्चतम न्यायालय का आज्ञाकारी आदेश सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है, लेकिन जहाँ तक उच्चतम न्यायालय का संबंध है, उसके पास केवल प्रेरक अधिकार है।

21. किसी निर्णय को समझने के संदर्भ में, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि किसी निर्णय में उपयोग किए गए शब्दों की व्याख्या कानून के रूप में नहीं की जानी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि निर्णय में उपयोग किए गए शब्दों का अनुवाद किया जाना चाहिए और 1021

सेकुंड क्लब ई. टी. सी. बनाम. C.I.T.-V ETC। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 1022

प्रासंगिक रूप से समझा जाता है और शाब्दिक रूप से लेने का इरादा नहीं है। इसके अलावा, एक निर्णय एक प्राधिकरण नहीं है जिसे निहितार्थ द्वारा पढ़ा जा सकता है या न्यायाधीशों के एक अनुमानित इरादे को निर्दिष्ट करके और उससे कानून के एक प्रस्ताव का अनुमान लगाकर जिसे न्यायाधीशों ने निर्णय में निर्दिष्ट या स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं किया है। दूसरे शब्दों में, निर्णय एक प्राधिकरण है जो विशिष्ट रूप से निर्णय लेता है न कि उससे तार्किक रूप से क्या निकाला जा सकता है। 22. इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के पूर्ववर्ती मूल्य की कमी होगी जो एक विस्तृत निर्णय से पहले नहीं है क्योंकि एक मुद्दे को स्पष्ट रूप से नहीं निपटाया गया होगा। किसी निर्णय में जो सार है वह उसका अनुपात है और न कि उसमें पाए जाने वाले प्रत्येक अवलोकन, और न ही उसमें किए गए विभिन्न अवलोकनों से तार्किक रूप से क्या होता है।

23. एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए वह यह है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून की घोषणा केवल तभी की जा सकती है जब यह एक बोलने वाले आदेश में निहित हो, या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा और सीमित रूप से बर्खास्तगी द्वारा नहीं। मुखर्जी, सी. जे. के शब्दों में, डी. टी. सी बनाम डी. टी. सी.

मजदूर कांग्रेस यूनियन, ए. आई. आर. 1991 एस. सी. 101, अभिव्यक्ति 'घोषित' है 'पाया गया या बनाया गया' शब्दों से व्यापक। बाद की अभिव्यक्ति में प्रक्रिया शामिल है, जबकि पूर्व परिणाम को व्यक्त करता है।

24. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम सोचते हैं कि हम विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री दातार द्वारा दिए गए तर्क को निम्नलिखित कारणों से स्वीकार नहीं कर सकते हैं: सबसे पहले, कानपुर क्लब में आदेश किसी भी तर्क या कटौती के आधार पर नहीं है कि क्या किसी क्लब द्वारा बैंक में की गई जमा राशि पर अर्जित ब्याज पर आयकर लगाया जाएगा या नहीं। किसी भी कटौती या तर्क या विश्लेषण के अभाव में, उक्त आदेश का पूर्ववर्ती मूल्य नहीं हो सकता है ताकि इस न्यायालय पर बाद के मामले में बाध्यकारी हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि उक्त आदेश में कोई स्पष्ट अनुपात नहीं है। बेशक, उक्त आदेश मामले के पक्षों को बाध्य करेगा। कानपुर क्लब में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को ध्यान से पढ़ते समय, यह स्पष्ट किया जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अपने सदस्यों को कमरे/संपत्ति किराए पर देने से अर्जित आय के मामले में, यह कर के अधीन नहीं होगा। उपरोक्त पहलू पर, राजस्व ने इस न्यायालय के समक्ष कोई अपील नहीं की थी, और इसलिए, उस पहलू पर मामला निर्धारिती यानी कानपुर क्लब के पक्ष में समाप्त होना चाहिए। दूसरा, मामले के अन्य पहलुओं में गए बिना, इस न्यायालय ने केवल यह उल्लेख किया कि इसमें निर्धारिती (कानपुर क्लब) पर कर नहीं लगाया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

अतः पारस्परिकता के सिद्धांत से अन्य प्रश्नों पर अपील के साथ आगे बढ़ने का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। उन अन्य प्रश्नों को आदेश में नहीं लिखा गया है और न ही इस बात के कारण बताए गए हैं कि उक्त क्लब और उसके लेन-देन के किस पहलू या गतिविधियों पर पारस्परिकता का सिद्धांत लागू होगा। चर्चा या विश्लेषण में कोई स्पष्ट संकेत न होने और किसी मामले का सरल समापन होने के अभाव में, यह स्पष्ट रूप से इंगित करेगा कि पारस्परिकता का सिद्धांत केवल उन गतिविधियों पर लागू होगा जिन पर यह सामान्य रूप से लागू होगा। यह कहने से अलग है कि किसी क्लब द्वारा गैर-सदस्यों से अर्जित आय या किसी क्लब द्वारा बैंक में जमा राशि में किए गए निवेश से अर्जित आय के मामले में भी पारस्परिकता का सिद्धांत आकर्षित होगा और इसलिए कोई कर देय नहीं है। तीसरा, यदि इस न्यायालय का कोई आदेश संक्षिप्त है और केवल किसी विशेष मामले में शामिल विवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से और मामले को समाप्त करने की दृष्टि से है, तो निस्संदेह, ऐसा आदेश उक्त आदेश के पक्षों के लिए बाध्यकारी है, लेकिन हमारे

विचार में, यह बाद के मामलों के लिए एक मिसाल के रूप में कार्य नहीं कर सकता है जैसे कि वर्तमान मामले जिसमें हम काम कर रहे हैं।

25. वास्तव में, बांकीपुर क्लब के पैराग्राफ 19 में, जमा राशि पर प्राप्त ब्याज आय पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि ऐसी आय को अन्य स्रोतों से आय माना जा सकता है न कि संपत्ति से आय। इस न्यायालय ने आगे कहा, "ऐसा प्रतीत नहीं होता है।

कि व्यापक दलील कि आय पारस्परिकता के सिद्धांत पर पूरी तरह से छूट प्राप्त है, निर्धारिती के पक्ष में निर्णय लिया गया था।" यह उपरोक्त संदर्भ में था

कि समूह "ई" मामलों को अलग किया गया था क्योंकि इस न्यायालय का विचार था कि पट्टे पर दी गई संपत्ति से अर्जित आय और जमा राशि पर प्राप्त ब्याज पर भी अलग से विचार किया जा सकता है।

26. इसके बाद जब कानपुर क्लब के मामले में अपीलों पर विचार किया गया तो इस न्यायालय ने क्लब द्वारा अपने सदस्यों को किराए पर दिए गए कमरों से अर्जित आय पर पारस्परिकता के सिद्धांत को लागू किया क्योंकि यह कर के अधीन नहीं है। जहाँ तक अन्य प्रश्नों का संबंध था, केवल यह न्यायालय

यह मत व्यक्त किया गया कि "अन्य प्रश्नों पर अपील के साथ आगे बढ़ने में कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा जब पारस्परिकता के सिद्धांत के कारण प्रतिवादी पर कर नहीं लगाया जा सकता है।" कानपुर क्लब में यह अवलोकन आवश्यक है।

बांकीपुर क्लब में ऊपर व्यक्त टिप्पणियों के साथ जोड़ा जाए। जब कानपुर क्लब में की गई उपरोक्त टिप्पणियों पर बड़े अनुरोध के आलोक में विचार किया जाता है, तो हमें लगता है कि इसका जवाब बांकीपुर **1023** में नहीं दिया गया था।

सेकुंड क्लब ई. टी. सी. बनाम. C.I.T.-V ETC। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 1024

न तो क्लब में और न ही कानपुर क्लब में। लेकिन, बेंगलोर क्लब में बाद के निर्णय ने अंततः एक विस्तृत तर्क के माध्यम से उक्त बड़ी याचिका का जवाब दिया। इसलिए, यह नहीं माना जा सकता है कि कानपुर क्लब में पारित संक्षिप्त आदेश एक मिसाल है जिसे बेंगलोर क्लब में दो न्यायाधीशों की एक समन्वित पीठ द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था, ताकि बाद में निर्णय लिया जा सके। दूसरी ओर, हमारा विचार है कि जिस बड़ी याचिका पर न तो बांकीपुर क्लब में और न ही कानपुर क्लब में विचार किया गया था, उस पर अंततः बेंगलोर क्लब में एक विस्तृत निर्णय द्वारा विचार किया गया और जवाब दिया गया।

27. इसलिए, हम बेंगलोर क्लब में इस न्यायालय की बाद की समन्वय पीठ में किसी भी गलती को नहीं मानते हैं कि कानपुर क्लब के मामले में पारित आदेश पर ध्यान नहीं देते हुए, बैंकों में उक्त क्लब द्वारा की गई जमा राशि पर ब्याज से अर्जित आय की कर योग्यता पर, चाहे बैंक क्लबों

28. जहाँ तक केनरा बैंक में कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय का संबंध है, यद्यपि इसे चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, हम बॉम्बे उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय की टिप्पणियों में इस आशय के योग्य हैं कि उक्त निर्णय अपने स्वयं के तथ्यों तक ही सीमित होना चाहिए और इसे एक मिसाल के रूप में नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में, ध्यान देने योग्य बात यह है कि बेंगलोर क्लब में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को केनरा बैंक का फैसला करने वाली उक्त अदालत की खंड पीठ के संज्ञान में नहीं लाया गया था। क्या डिवीजन बेंच को बेंगलोर क्लब में उस अदालत की एक समन्वय बेंच द्वारा पारित फैसले के बारे में पता था, जिसमें कहा गया था कि उस पर अर्जित ब्याज

[2023] 12 एस सी आर।

[illegible]

[illegible]

कलकत्ता क्लब लिमिटेड, (2019) 19 एस. सी. सी. 107, इस न्यायालय ने निम्नलिखित पर विचार किया

सवाल -

30.1.(i) क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 (29-ए) में 46 वें संशोधन के बाद भी पारस्परिकता का सिद्धांत निगमित क्लबों या किसी भी क्लब पर लागू होता है?

30.2.((ख) क्या यंग मेन्स इंडियन एसोसिएशन में इस न्यायालय का निर्णय भारत के संविधान के 46 वें संशोधन के बाद भी मान्य है; और क्या कॉस्मोपॉलिटन क्लब और फतेह मैदान क्लब में जिन निर्णयों ने संवैधानिक संशोधन के बाद पारस्परिकता के सिद्धांत को लागू करने वाले मामले को हटा दिया, उन्हें कानून का सही सिद्धांत बताते हुए माना जा सकता है?

30.3.(iii) क्या संविधान के 46 वें संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि निगमित क्लबों द्वारा अपने स्थायी सदस्यों को खाद्य और पेय पदार्थों का प्रावधान बिक्री का गठन करता है, जिससे इसे बिक्री कर के लिए उत्तरदायी माना जाता है?"

उपरोक्त प्रश्न अनुच्छेद 366 (29-ए) के संदर्भ में उत्पन्न हुए जो संविधान के 46 वें संशोधन के आधार पर और पश्चिम बंगाल बिक्री कर अधिनियम के संदर्भ में माल की बिक्री या खरीद पर कर के संबंध में भारत के संविधान में जोड़ा गया एक प्रावधान है।

इस न्यायालय ने बेंगलोर क्लब के मामले में निर्णय का उल्लेख किया और कहा कि क्लबों पर लागू पारस्परिकता का सिद्धांत योगदानकर्ताओं और प्रतिभागियों के बीच एक पूर्ण पहचान की परिकल्पना करता है। उल्लेख करते हुए

हैल्सबरीज लॉज ऑफ़ इंग्लैंड, 4 थ एडिशन, रीड्श्यू, Vol.23, पारस 224 यह था

यह देखा गया कि सदस्यों के क्लब आपसी उपक्रम का एक उदाहरण हैं; लेकिन,

जहाँ एक क्लब गैर-सदस्यों को सुविधाओं का विस्तार करता है, उस हद तक, पारस्परिकता का तत्व अभाव है। कि एक सदस्य क्लब गैर-सदस्यों को अपनी सुविधाओं को प्रदान करने से प्राप्त लाभों के संबंध में आकलन योग्य है। वह जहाँ **1025**

गैर-सदस्य शुल्क के भुगतान पर सुविधाओं से बाहर हैं, फिर, क्लब एक व्यवसाय चला रहा था जिसे अलग किया जा सकता था और लाभ से

जो आयकर के लिए आकलन योग्य था।लेकिन सदस्यों के लिए प्रदान की गई सुविधाओं का लाभ उठाने वाले सदस्यों से किए गए लाभों के संबंध में कोई दायित्व नहीं है।संक्षेप में, प्रतिभागियों के वर्ग और धन के योगदानकर्ताओं के वर्ग के बीच एक पूर्ण पहचान होनी चाहिए; विशेष लेबल या रूप जिसके द्वारा पारस्परिक संघ का गठन किया जाता है, उसका कोई परिणाम नहीं होता है।यह भी देखा गया कि यदि व्यक्ति किसी निश्चित गतिविधि को इस तरह से जारी रखते हैं कि उस गतिविधि में धन के योगदानकर्ताओं और प्रतिभागियों के बीच समानता हो, तो दोनों के बीच एक पूरी पहचान स्थापित हो जाती है।चूँकि सदस्य क्लब की गतिविधियों को अपने लिए करते हैं, इस तथ्य से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे अपने लिए ऐसा करने के लिए एक कानूनी इकाई को शामिल करते हैं।अधिनियम की धारा 2 (24) (vii) का भी उल्लेख किया गया था जो कर योग्य आय की अवहेलना करती है।सामान्य कानून के सिद्धांतों पर आधारित पारस्परिकता का सिद्धांत इस सिद्धांत पर आधारित है कि कोई व्यक्ति अपने लिए लाभ नहीं कमा सकता है।इसलिए स्वयं से प्राप्त राशि को आय नहीं माना जा सकता है और इसे कर योग्य नहीं माना जा सकता है।यह देखा गया कि व्यवसाय से सहकारी समिति की आय धारा 2 (24) (vii) के तहत कर योग्य है और पारस्परिकता के सिद्धांत से बाहर रहेगी।यह निष्कर्ष निकाला गया कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 366 (29-ए) को पेश करने वाले 46 वें संशोधन के बाद भी पारस्परिकता का सिद्धांत निगमित और अनिगमित सदस्यों के क्लबों पर लागू रहता है और उक्त अनुच्छेद का उपखंड (एफ) वित्त अधिनियम, 1994 के संदर्भ में सदस्य क्लबों पर लागू नहीं होता है, जो अन्य बातों के साथ-साथ सेवाओं पर कर से संबंधित है।

क्लब या संघ की अवज्ञा पर विस्तार से चर्चा करने के बाद; सेवा कर के भुगतान के संदर्भ में कर योग्य सेवा; और वित्त अधिनियम, 1994 के तहत 'सेवा' की अवज्ञा के संदर्भ में, यह देखा गया कि 2005 के बाद से, वित्त अधिनियम, 1994 सदस्यों के क्लबों पर निगमित रूप में सेवा कर लगाने का तात्पर्य नहीं रखता है।कि यंग मेन्स इंडियन एसोसिएशन के फैसले में कॉर्पोरेट रूप में एक क्लब और एक पंजीकृत सोसायटी के माध्यम से एक क्लब या ट्रस्ट के विलेख द्वारा निगमित के बीच कोई अंतर नहीं किया गया था।

(ख) यम में!रेस्तरां (विपणन) प्राइवेट लिमिटेड बनामआयकर आयुक्त, दिल्ली, (2021) 7 एस. सी. सी. 678, इस न्यायालय के माध्यम से बोलते हुए

खानविलकर, जे. ने पैराग्राफ 17 में कहा है:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

“17. पारस्परिकता की जांच करने के लिए, हम लाभप्रद रूप से अंग्रेजी और स्कॉटिश संयुक्त सहयोग संगठन को विज्ञापन देते हैं। थोक सोसायटी लिमिटेड बनाम कैट, जिसे इस न्यायालय द्वारा सी. आई. टी. बनाम रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लिमिटेड और बेंगलोर क्लब में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया है। न्यायिक घोषणाओं की वनों से भरी धारा पारस्परिकता के अस्तित्व को साबित करने के लिए तीन शर्तों/परीक्षणों की व्याख्या करती है:

(i) निधि में योगदानकर्ताओं और निधि से प्राप्तकर्ताओं की पहचान;

((ii) कंपनी के साथ व्यवहार, हालांकि सदस्यों और पॉलिसी धारकों की सुविधा के लिए केवल एक इकाई के रूप में निगमित है, दूसरे शब्दों में, उनके जनादेश के आज्ञाकारी साधन के रूप में, और;

(iii) यह असंभव है कि योगदानकर्ताओं को किसी ऐसे कोष में अपने द्वारा किए गए योगदान से लाभ प्राप्त करना चाहिए जिसे केवल खर्च किया जा सकता है या खुद को वापस किया जा सकता है।

जबकि एक पारस्परिक चिंता के बराबर क्या है, इस पर कानूनी स्थिति उचित रूप से तय की गई है, मामले-दर-मामले के आधार पर इसका तथ्यात्मक निर्धारण एक जटिल मुद्दा है जिसके लिए गहरी जांच की आवश्यकता है। इस तरह की जांच ऊपर बताए गए परीक्षणों के आलोक में की जानी चाहिए।”

उस तत्व पर चर्चा करते हुए जिसमें पारस्परिक हित में सदस्यों या प्रतिभागियों और उसके हितग्राहियों के बीच पहचान की समानता का परीक्षण शामिल है, और इसमें ऊपर निकाले गए त्रि-आयामी परीक्षण को लागू करते हुए, यह देखा गया कि सामान्य पहचान का अर्थ है कि सदस्यों का वर्ग बरकरार रहना चाहिए क्योंकि लेनदेन योगदान के चरण से रिटर्न/अधिशेष के स्तर तक बढ़ता है। इसलिए लेन-देन में प्रतिभागियों के वर्ग में एकरूपता होनी चाहिए। यह आगे देखा गया कि “जिस क्षण इस तरह का लेन-देन गैर-सदस्यों के लिए खुल जाता है, या तो योगदान या अधिशेष में, पहचान की एकरूपता बाधित हो जाती है और लेन-देन एक वाणिज्यिक लेनदेन का रंग धारण कर लेता है। सदस्य और गैर-सदस्य शब्दों पर जोर महत्वपूर्ण है क्योंकि पारस्परिकता का सिद्धांत नए सदस्यों के समावेश या बहिष्कार को प्रतिबंधित नहीं करता है। यह देखा गया कि लेनदेन में एक प्रतिभागी का निवेश निषिद्ध है जो अन्य 1027 के बराबर सामान्य निधि का “सदस्य” नहीं बनता है।

सेकुंड क्लब ई. टी. सी. बनाम. C.I.T.-V ETC। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 1028

सदस्य, और फिर भी खुद को आपसी अधिकारों और दायित्वों के अधीन किए बिना योगदान या अधिशेष में भाग लेते हैं। सामान्य पहचान का सिद्धांत म्यूचुअल फंड में भागीदारी की प्रकृति में किसी भी एक-आयामी परिवर्तन को प्रतिबंधित करता है क्योंकि लेनदेन फलदायी होता है। इस तरह के किसी भी परिवर्तन से लेन-देन में किसी बाहरी तत्व या इकाई की गैर-समान भागीदारी

होगी, जिससे सदस्यों के बंद परिपथ से बाहर के पक्षों के साथ लेन-देन में एक प्रकट या अव्यक्त पेशेवर-आधारित सौदे की गुंजाइश खुल जाएगी। इस तरह की लाभप्रद गतिविधि अधिनियम की धारा 2 (24) के अनुसार आयकर के लिए उत्तरदायी होगी।

आगे बढ़ते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि समान पहचान की आवश्यकता के साथ, योगदानकर्ताओं और प्रतिभागियों के बीच पहचान की पूर्णता की आवश्यकता है, जिस पर सिद्धांत के तहत विचार किया गया है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पहचान की पूर्णता है या पारस्परिकता का उल्लंघन है, न्यायालय अपनी शक्तियों के भीतर चिंता की परिधि से परे जाने और पर्दा उठाने के समान एक परीक्षा करने के लिए है, ताकि इसकी वास्तविक प्रकृति को समझा जा सके। यह भी देखा गया कि किसी संस्था की पारस्परिकता और गैर-लाभकारी चरित्र को उसकी वास्तविक कार्य संरचना के आलोक में निर्धारित किया जाना चाहिए और निगम या निगमन का तथ्य या जिस रूप में इसे पहना जाता है, वह महत्वहीन है। उक्त मामले में, प्रश्नों का उत्तर निर्धारिती कंपनी के खिलाफ और राजस्व के पक्ष में दिया गया था।

30. हमने संबंधित पक्षों की ओर से बार में दिए गए तर्कों पर विचार किया है और बैंगलोर क्लब के मामले में इस न्यायालय के कथन की पृष्ठभूमि में अपीलकर्ता क्लबों द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों में की गई जमा राशि पर अर्जित ब्याज आय के संबंध में उक्त सिद्धांत की प्रयोज्यता के संदर्भ में पारस्परिकता के सिद्धांत की बारीकियों पर विचार किया है।

31. पारस्परिकता के सिद्धांत को लागू करने के लिए ट्रिपल टेस्ट पर विचार करते हुए, हम मानते हैं कि बैंगलोर क्लब के मामले में, उपरोक्त ट्रिपल टेस्ट लागू किया गया था। यह दोहराया गया कि पारस्परिकता के सिद्धांत की परिकल्पना की गई है: (i) योगदानकर्ताओं और प्रतिभागियों के बीच पूरी पहचान; (ii) प्रतिभागियों और योगदानकर्ताओं की कार्रवाई संघों या क्लबों के जनादेश को आगे बढ़ाने में होनी चाहिए। क्लब का अधिदेश एक तथ्य का प्रश्न है जिसे ज्ञापन से निर्धारित किया जाना है या

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

संघों के लेख, सदस्यता के नियम, संगठन के नियम आदि, जिनका व्यापक रूप से अर्थ लगाया जाना चाहिए।

(iii) योगदानकर्ताओं द्वारा उनके द्वारा बनाई गई निधि से लाभ उठाने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, जिसे केवल खर्च किया जा सकता है या स्वयं को वापस किया जा सकता है। 32. उपरोक्त सिद्धांतों को मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, बैंगलोर क्लब में यह देखा गया कि लेन-देन के संबंध में, अर्थात् क्लबों द्वारा अर्जित अधिशेष धन की जमा राशि, उन बैंकों में जो क्लब के सदस्य हैं, पारस्परिकता का सिद्धांत धन जमा करने के चरण तक लागू होता है और एक बार जब धन बैंकों में निश्चित जमा के रूप में जमा किया जाता है, तो इसका आवेदन समाप्त हो

जाएगा।ऐसा इसलिए है क्योंकि धन को वाणिज्यिक बैंकिंग संचालन के लिए उजागर किया जाएगा जिसका अर्थ है कि जमा का उपयोग तीसरे पक्ष को ऋण देने और उस पर अधिक ब्याज अर्जित करने और क्लबों को जमा राशि पर कम ब्याज दर का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। यह कि बैंक द्वारा अपने बैंकिंग व्यवसाय के लिए जमा की गई जमा प्राप्तियों में जमा किए गए क्लबों के धन का उपयोग करने से "पारस्परिकता की गोपनीयता" पूरी तरह से टूट जाएगी और इसके परिणामस्वरूप, योगदानकर्ताओं और प्रतिभागियों के बीच पूरी पहचान का तत्व समाप्त हो जाएगा।नतीजतन, पारस्परिकता के दावे के लिए पहली शर्त संतुष्ट नहीं होती है।

33. कि, बैंक में धन जमा करना अपीलकर्ता-क्लबों की सामान्य गतिविधि नहीं है।यह तभी होता है जब अधिशेष उत्पन्न होता है।बैंगलोर क्लब की तरह ये अपीलकर्ता क्लब सामाजिक क्लब हैं, और ये क्लबों की विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अर्जित अधिशेष धन है जो बैंकों में जमा किए जाते हैं ताकि बैंकिंग के व्यवसाय के कारण ब्याज अर्जित किया जा सके।बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ अपने लेन-देन के लिए उक्त जमा राशि का उपयोग किए जाने के अभाव में, जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं हो सकता है।यह बैंक के किसी भी ग्राहक के संबंध में है जो बैंक में अधिशेष राशि जमा करेगा।ऐसा हो सकता है कि ब्याज आय का उपयोग अंततः क्लबों के सदस्यों के लाभ के लिए किया जाएगा, लेकिन यह ऐसा विचार नहीं है जिसका पारस्परिकता की तिगुनी परीक्षा को संतुष्ट करने पर प्रभाव पड़े।बैंगलोर क्लब में यह देखा गया कि भले ही अंततः ब्याज आय और अधिशेष जमा राशि का उपयोग क्लबों के सदस्यों के लाभ के लिए किया जाता है, लेकिन तथ्य यह है कि जब क्लबों द्वारा जमा राशि बैंकों में जमा की जाती थी, तो वे तीसरे पक्ष यानी बैंकों और उनके ग्राहकों के बीच लेन-देन के संपर्क में आते थे और इससे पारस्परिकता के सिद्धांत को तीन गुना 1029 का उल्लंघन करना बंद हो जाएगा।

सेकुंड क्लब ई. टी. सी. बनाम.C.I.T.-V ETC। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 1030

परीक्षण।जब बैंगलोर क्लब में इस न्यायालय के तर्क पर विदेशी क्षेत्राधिकारों के निर्णयों के आलोक में विचार किया जाता है, तो यह ध्यान दिया जाता है कि यह प्रस्ताव उन बैंकों में की गई जमा राशि पर भी लागू होगा जो क्लबों के सदस्य हैं।दूसरे शब्दों में, यह केवल क्लबों के सदस्यों द्वारा किए गए भुगतान से उत्पन्न लाभ है, जो कर योग्य नहीं होगा।रॉयल वेस्टर्न इंडिया क्लब (उपरोक्त) के मामले में भी यही तर्क था, जिसमें यह देखा गया था कि जहां क्लब द्वारा सदस्यों और गैर-सदस्यों दोनों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं, गैर-सदस्यों के साथ क्लब का व्यवहार किसी भी अन्य वाणिज्यिक संस्था की तरह लाभ अर्जित करने की दृष्टि से किए जाने वाले व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में होता है और इसलिए, कर के अधीन होता है।यह इस सिद्धांत पर है कि योगदानकर्ताओं और प्राप्तकर्ताओं के बीच पूरी पहचान अनुपस्थित है।

34. इसलिए पूछा गया सवाल यह है कि पारस्परिकता का संबंध किस बिंदु पर समाप्त होता है और व्यापार किस बिंदु पर शुरू होता है।यदि क्लब के योगदान या निधि से निपटने के लिए या क्लब के धन का उपयोग करने और ब्याज के साथ उसे वापस करने के लिए किसी तीसरे पक्ष या गैर-सदस्य की प्रविष्टि है, तो पक्षों का संबंध पारस्परिकता की गोपनीयता के आधार पर नहीं है।

पारस्परिकता की आवश्यक शर्त, अर्थात्, योगदानकर्ताओं और प्रतिभागियों के बीच पहचान समाप्त हो जाएगी। फिर संबंध किसी भी अन्य वाणिज्यिक संबंध की तरह होगा जैसे कि एक ग्राहक और एक बैंक के बीच जहां ब्याज आय अर्जित करने के उद्देश्य से ग्राहक द्वारा जमा किया जाता है।

35. यदि पारस्परिकता का सिद्धांत लागू करना है, तो, जहां कई लोग किसी निधि में योगदान करते हैं, उन्हें अंततः निधि से अधिशेष का भुगतान किया जाता है, यह केवल योगदानकर्ताओं के अपने धन का पुनर्भुगतान है। हालांकि, यदि वही अधिशेष निधि सीधे क्लब के सामान्य उद्देश्य के लिए या क्लब के सदस्यों के लाभ के लिए लागू नहीं की जाती है, लेकिन किसी तीसरे पक्ष के साथ निवेश किया जाता है, जिसे उक्त निधि का उपयोग करने का अधिकार है, बशर्ते कि उस पर ब्याज का भुगतान किया जाए और क्लब द्वारा वांछित होने पर मूलधन का पुनर्भुगतान किया जाए, तो ऐसी स्थिति में क्लब उक्त निधि पर अपना नियंत्रण खो देता है। इसके अलावा, जमा राशि या किए गए निवेश पर उत्पन्न ब्याज एक वाणिज्यिक गतिविधि है, जिससे बैंक को अपने बैंकिंग व्यवसाय के लिए जमा राशि का उपयोग करने और क्लब द्वारा जमा राशि पर कम ब्याज दर का भुगतान करते हुए उच्च ब्याज दर पर राशि उधार देकर उक्त बैंकिंग व्यवसाय से लाभ प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। इस प्रकार, के बीच समानता

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

सामान्य निधि में योगदानकर्ता और इसमें भाग लेने वाले जो पारस्परिकता के सिद्धांत को लागू करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है, टूट जाएंगे। जब किसी क्लब की अधिशेष निधि को बैंक में जमा राशि के रूप में निवेश किया जाता है और बैंक को ब्याज के साथ मूलधन के पुनर्भुगतान के अधीन अपने बैंकिंग व्यवसाय के लिए उक्त जमा राशि का उपयोग करने का अधिकार होता है, तो पहचान खो जाती है।

36. इसके विपरीत, जब क्लब की सुविधाओं को सदस्यों के साथ-साथ गैर-सदस्यों को एक कीमत पर दिया जाता है, तो लेन-देन के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर होता है, यानी क्लब और उसके सदस्यों के बीच और क्लब और गैर-सदस्यों के बीच। जब क्लब की सुविधाओं का विस्तार क्लब के सदस्यों तक किया जाता है जो क्लब द्वारा उत्पन्न आय में योगदान करते हैं, तो योगदानकर्ताओं और प्राप्तकर्ताओं के बीच एक पहचान होती है और इसलिए, पारस्परिकता का सिद्धांत लागू होगा। हालांकि, यदि क्लब की समान सुविधाओं को गैर-सदस्यों या जनता को अतिरिक्त आय अर्जित करने के उद्देश्य से दिया जाता है, तो यह एक वाणिज्यिक लेनदेन की प्रकृति में है और इस प्रकार एक प्रोफी टेबल उद्यम बन जाता है। ऐसे मामले में पारस्परिकता का सिद्धांत लागू नहीं होगा।

37. क्लबों के अलग-अलग और विभिन्न लेनदेनों पर ट्रिपल टेस्ट लागू करने के लिए, पर्दा उठाना और प्रत्येक लेनदेन की प्रकृति को समझना आवश्यक है: क्या कोई तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप है जो

आय अर्जित करने का कारण है; या यह सदस्यों और क्लब के बीच उत्पन्न आय है, जैसे कि, केवल क्लब के सदस्यों के बीच। जब क्लब के लेन-देन को उपरोक्त चश्मे में देखा जाता है, तो प्रत्येक लेन-देन में यह पता लगाना होता है कि क्या पारस्परिकता का सिद्धांत लागू होगा।

38. श्री दातार और श्री अंध्यार्जुन द्वारा क्लब के सदस्यों के लाभ के लिए ब्याज आय के उपयोग के संबंध में दिया गया आकर्षक तर्क आयकर के एक मौलिक सिद्धांत द्वारा खारिज किया जाता है। उक्त सिद्धांत मर्सी डॉक्स में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा प्रस्तावित किया गया है।

बनाम लुकास, 8 ऐप। कैस। 891 ("मर्सी डॉक्स")। उक्त मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि

किसी व्यापारिक गतिविधि से उत्पन्न अधिशेष के उपयोग के तरीके का उसकी कराधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उस मामले में निष्कर्ष से उधार लेने के लिए,

राजस्व का कम से कम कर का भुगतान करने का अधिकार इस बात पर निर्भर करता है कि वे बाद में इसके साथ क्या करते हैं।"

1031

सेकुंड क्लब ई. टी. सी. बनाम. C.I.T.-V ETC। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 1032

39. इन परिस्थितियों में, हम मानते हैं कि बेंगलोर क्लब में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिया गया तर्क न्यायसंगत और उचित है और इसमें पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है।

40. बेंगलोर क्लब में तर्क को ऊपर चर्चा किए गए विदेशी क्षेत्राधिकारों के निर्णयों द्वारा भी मजबूत किया जाता है, जैसे कि म्यूनिसिपल म्यूचुअल

बीमा लिमिटेड बनाम हिल्स; वाल्टर फ्लेचर; पुनः कराधान आयुक्त और ऑस्ट्रेलियाई संगीत व्यापारी संघ।

41. इस परिस्थिति में, हम यह नहीं मानते कि बेंगलोर क्लब में निर्णय इस कारण से एक बाध्यकारी मिसाल नहीं है कि यह कानपुर क्लब में इस न्यायालय के पहले के फैसले का उल्लेख नहीं करता है। दूसरा, बेंगलोर क्लब में इस न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों को बारीकी से पढ़ने पर हमें लगता है कि वे न्यायसंगत हैं और वर्तमान मामलों पर पूरी तरह से लागू होते हैं।

42. इस संदर्भ में, सात विद्वान न्यायाधीशों की दूरदर्शी उक्ति

इस न्यायालय ने केशव मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम सी. आई. टी. (1965) 2 एस. सी. आर. 908

उन प्रश्नों पर अधिकारिता के प्रयोग का मार्गदर्शन करें जिनका इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा विधिवत निपटारा किया गया है। उक्त मामले में, यह निम्नानुसार देखा गया: "23. ... [अपने पहले के निर्णय की समीक्षा और संशोधन करते हुए, इस न्यायालय को खुद से पूछना चाहिए कि क्या सार्वजनिक हित में या किसी अन्य वैध और बाध्यकारी कारणों से, यह आवश्यक है कि

पहले के निर्णय को संशोधित किया जाना चाहिए। जब यह न्यायालय विधि के प्रश्नों का निर्णय करता है, तो इसके निर्णय, अनुच्छेद 141 के तहत, भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं, और इसलिए, देश में विधि की व्याख्या में निश्चितता और निरंतरता के तत्व को पेश करने और बनाए रखने के लिए इस न्यायालय का निरंतर प्रयास और चिंता होनी चाहिए। इस न्यायालय द्वारा इस आधार पर अपने पहले के निर्णयों की समीक्षा करने की अपनी शक्ति का बार-बार प्रयोग करना कि बाद में न्यायालय के समक्ष रखा गया दृष्टिकोण अधिक उचित प्रतीत होता है, संयोग से कानून को अनिश्चित बना सकता है और भ्रम पैदा कर सकता है जिससे लगातार बचा जाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि यदि बाद के किसी अवसर पर, न्यायालय को संतुष्ट किया जाता है कि उसका पूर्व निर्णय स्पष्ट रूप से गलत था, तो उसे त्रुटि को सुधारने में संकोच करना चाहिए; लेकिन इससे पहले कि पिछले निर्णय को स्पष्ट रूप से गलत घोषित किया जाए, न्यायालय को अपने सदस्यों के बीच उचित मात्रा में सर्वसम्मति से संतुष्ट होना चाहिए कि उक्त दृष्टिकोण का संशोधन पूरी तरह से उचित है। यह संभव या वांछनीय नहीं है, और किसी भी मामले में किसी भी सिद्धांत को निर्धारित करना अनुचित होगा जो

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

अपने पूर्व निर्णयों की समीक्षा और संशोधन के प्रश्न से निपटने में न्यायालय का दृष्टिकोण। यह हमेशा कई प्रासंगिक विचारों पर निर्भर करेगा:— उस असंवेदनशीलता या त्रुटि की प्रकृति क्या है जिस पर पहले के दृष्टिकोण की समीक्षा और संशोधन के लिए याचिका आधारित है? पहले के अवसर पर, क्या प्रश्न के कुछ पेटेंट पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया था, या क्या न्यायालय का ध्यान किसी प्रासंगिक और भौतिक वैधानिक प्रावधान की ओर नहीं खींचा गया था, या क्या इस मुद्दे पर इस न्यायालय के किसी पिछले निर्णय पर ध्यान नहीं दिया गया था? क्या इस तरह की याचिका पर सुनवाई करने वाला न्यायालय काफी सर्वसम्मत है कि पहले के दृष्टिकोण में ऐसी त्रुटि है? इस त्रुटि का कानून के सामान्य प्रशासन या सार्वजनिक भलाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या पहले के निर्णय का बाद के अवसरों पर इस न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा पालन किया गया है? और, क्या पहले के निर्णय को वापस लेने से जनता को असुविधा, कठिनाई या शरारत होगी? जब भी इस न्यायालय को अपने पहले के निर्णयों की समीक्षा और संशोधन करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है, तो इन और अन्य प्रासंगिक विचारों को सावधानीपूर्वक ध्यान में रखा जाना चाहिए।"

निष्कर्ष:

43. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं:

(i) कानपुर क्लब में इस न्यायालय के आदेश को भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के अर्थ के भीतर एक उदाहरण के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि उक्त आदेश किसी भी कानून की घोषणा नहीं करता है और कानपुर क्लब के खिलाफ राजस्व के नेतृत्व में की गई अपीलों का

निपटारा इस बड़े सवाल में गए बिना किया गया था कि क्या कानपुर क्लब पर बैंकों में की गई जमा राशि पर अर्जित ब्याज आय पर कर लगाया जा सकता है, या क्या पारस्परिकता का सिद्धांत उक्त आय पर लागू होगा।

(ii) बेंगलोर क्लब में इस अदालत के फैसले पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही इसे कानपुर क्लब में इस अदालत के पिछले आदेश के आलोक में देखा गया हो। नतीजतन, हमारा मानना है कि पारस्परिकता का सिद्धांत बैंकों में अपीलकर्ता क्लबों द्वारा की गई जमा राशि पर अर्जित ब्याज आय पर लागू नहीं होगा, भले ही बैंक क्लब के कॉर्पोरेट सदस्य हों या नहीं।

1033

सेकुंड क्लब ई. टी. सी. बनाम. C.I.T.-V ETC। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

(iii) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि बेंगलोर क्लब में निर्णय आकस्मिक नहीं है, हालांकि कानपुर के मामले में इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ द्वारा पारित पूर्व आदेश

बेंगलोर क्लब में क्लब नहीं देखा जाता है।

(iv) हम यह भी मानते हैं कि केनरा बैंक में कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ का निर्णय केवल उक्त मामले के तथ्यों पर लागू होने तक ही सीमित होना चाहिए और बाद के मामलों के लिए एक मिसाल नहीं हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बेंगलोर क्लब के मामले में उक्त उच्च न्यायालय की एक अन्य खंड पीठ के फैसले को खंड पीठ के संज्ञान में नहीं लाया गया था, जिसने केनरा बैंक के मामले में फैसला सुनाया था। इसके अलावा, यह बेंगलोर क्लब में उक्त उच्च न्यायालय की खंड पीठ का निर्णय है जिसे इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ ने एक विस्तृत तर्क द्वारा कायम रखा है। (v) इस प्रकार, अपीलार्थी क्लबों द्वारा बैंकों में की गई जमा राशि पर अर्जित ब्याज आय को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 (24) के अर्थ के भीतर अन्य स्रोतों से प्राप्त किसी भी अन्य आय की तरह माना जाना चाहिए।

(vi) इसके विपरीत, यदि क्लबों द्वारा अपनी परिसंपत्तियों और संसाधनों के माध्यम से उन व्यक्तियों से कोई आय अर्जित की जाती है जो क्लब के सदस्य नहीं हैं, तो ऐसी आय भी पारस्परिकता के सिद्धांत के तहत शामिल नहीं होगी और आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत कर लगाने के लिए उत्तरदायी होगी।

(vii) उपरोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए और यह पाए जाने के बाद कि बेंगलोर क्लब पुनर्विचार का आह्वान नहीं करता है, हम मानते हैं कि उक्त निर्णय जो न्यायसंगत है, इन अपीलों पर भी पूरी तरह से लागू होगा।

नतीजतन, याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं। दल अपन-अपन लागत वहन करत।

लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

निधि जैन